शुक्रवार,
२७ मार्च, १९५३

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

तीसरा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

# संसदीय वाद विवाद

## (भाग १—प्रश्न और उत्तर)

## शासकीय वृत्तान्त



## लोक सभा

शुक्रवार, २७ मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### विस्थापितों के लिये निवासस्थान

***१०२३. सरदार हुक्म सिंह : पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या समस्त विस्थापित व्यक्तियों को दिल्ली राज्य में मकान—निष्क्रान्त अथवा नवनिर्मित—दे दिये गये हैं अथवा अभी भी कुछ व्यक्ति पटरियों और सड़कों के फर्श पर रहते हैं; और

(ख) यदि ये व्यक्ति अभी भी सड़कों पर रहते हैं तो इन को कब तक रहने का स्थान देने की योजना है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** (क) और (ख) दिल्ली राज्य की सरकार द्वारा जून, १९५२ में किये गये परिमाप के अनुसार दिल्ली में सड़कों, सरकारी जमीन और धर्मशालाओं आदि में रहने वाले विस्थापित कुटुम्बों की संख्या २१,६१४ है। इन में से, ६,८०७ परिवारों को १ मार्च, १९५३ तक अन्यत्र रहने का स्थान दे दिया गया था और दूसरे १,१६७ परिवारों को उक्त तिथि तक निर्धारित करने के लिये स्थान उपलब्ध था। आशा की जाती है कि १९५३-५४ के अन्त तक अनियमित रूप से रहने वाले सभी उचित व्यक्तियों को रहने का स्थान दिया जा सकेगा।

**सरदार हुक्म सिंह :** क्या सरकार ने कोई तिथि निश्चित कर दी है कि जिस के पश्चात् दिल्ली में आने वाले विस्थापित व्यक्तियों को दिल्ली पुनर्वास का अधिकारी नहीं समझा जायेगा ?

**श्री ए० पी० जैन :** ठीक यही किया गया है ।

**सरदार हुक्म सिंह :** मैं वह तिथि जानना चाहता हूं ।

**श्री ए० पी० जैन** १५ अगस्त १९५०।

**सरदार हुक्म सिंह :** क्या इस का अर्थ यह है कि उस तिथि के पश्चात् आने वाले विस्थापित व्यक्ति कदापि पुनर्वास प्राप्त करन के अधिकारी नहीं हैं ?

**श्री ए० पी० जैन :** वे स्वयं अपने लिये प्रयत्न कर सकते हैं ।

**श्री बंसल :** क्या यह सत्य है कि निष्क्रान्त के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी सहित अन्य व्यक्ति भी बड़ी संख्या में दिल्ली में हैं जिन के पास निवास स्थान नहीं है ?

**श्री ए० पी० जैन :** हो सकता है ऐसा हो किन्तु मुझ से उस का सम्बन्ध नहीं है ।

**श्री पुन्नूस** : माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि निश्चित तिथि तय कर दी गई थी और उस के पश्चात् दिल्ली आने वाले व्यक्तियों को पुनर्वास योग्य नहीं समझा जायेगा। क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह तिथि कब घोषित की गई थी ?

**श्री ए० पी० जैन** : मेरा अनुमान है कि इस तिथि की घोषणा १९५१ के प्रारम्भ में श्री गाडगिल ने की थी। इस संदेश में कहा गया था कि १५ अगस्त १९५० तक अनियमित रूप से रहने वाले व्यक्तियों के अन्यत्र स्थान दे दिया जायगा और १५ अगस्त १९५० तथा ५ जनवरी १९५१ के मध्य इधर उधर विचरने वाले व्यक्तियों की तदर्थ कुछ सहायता कर दी जायेगी ।

**बाबू रामनारायण सिंह** : कितने इवैकुई हाउसेज़ अब तक खाली पड़े हैं और उन खाली मकानात में यह निर्वासित भाई क्यों नहीं रक्खे जाते ?

**श्री ए० पी० जैन** : ऐसे इवैकुई हाउसेज़ खाली नहीं पड़े हुए हैं, कोई १०, २०, २५ या ३० खाली हों, तो हों, इस से ज्यादा ।

**बाबू रामनारायण सिंह** : ऐसे मकानों की कोई गिनती नहीं है ?

**श्री ए० पी० जन** : गिनती बतला तो दी, तीस, पैंतीस ।

**सरदार हुक्म सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे निष्क्रान्त मकान हैं जिन पर 'स्थानीय' व्यक्तियों का अधिकार है और दिल्ली के विस्थापितों का नहीं ?

**श्री ए० पी० जैन** : कुछ निष्क्रान्त मकानों पर 'स्थानीय' व्यक्तियों ने अधिकार कर रखा है और 'स्थानीय' से मेरा तात्पर्य उन से है जो १५ अगस्त के पूर्व से अभी तक वहां रहते हैं ।

**बैरकों अथवा तम्बुओं में रहने वाले विस्थापित व्यक्ति**

*१०२४. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली राज्य में कुछ विस्थापित अपनी अवधि पूरी कर चुकने वाले तम्बुओं और बैरकों में रहते हैं ?

(ख) यदि उक्त स्थिति सही है तो उन विस्थापितों की संख्या कितनी है और उन्हें उचित स्थान देने की सरकार कब तक आशा रखती है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) और (ख). किंग्सवे, दिल्ली की पुरानी बैरकों में लगभग एक हज़ार परिवार रहते हैं। ये बैरक नष्ट किये जा रहे हैं और उन में रहने वालों को अन्यत्र स्थान दिया जा रहा है। यह आशा की जाती है कि मार्च १९५४ तक इन व्यक्तियों के निवास स्थान की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

**सरदार हुक्म सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये बैरकें केवल किंग्सवे कैम्प में ही हैं, अथवा अन्य स्थानों पर भी पुरानी बैरकों में विस्थापित रहते हैं ?

**श्री ए० पी० जैन** : अन्यत्र कहीं नहीं।

**विदेशियों के लिये बनाये गये युद्धकालीन तम्बू**

*१०२५. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) **गृह** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य विदेशियों को नियमित रूप से रखने के लिये बनाये अथवा प्राप्त किये गये तम्बुओं को अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया गया है?

(ख) यदि नहीं तो किराये अथवा निर्वाह के रूप में क्या उन पर अभी कुछ खर्च किया जा रहा है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** :(क) इन अन्तर्वासितों के लिय बनाये गये दो तम्बुओं में से देहरादून स्थित एक तम्बू सन् १९४६ में विदेशियों के पुनः स्वदेश लौटने पर शीघ्र ही समाप्त कर दिया था। वे इमारतें जो प्रारम्भ में रक्षा मंत्रालय से सम्बन्ध रखती थीं उन्हीं को लौटा दी गईं और शेष विस्थापितों के पुनर्वास के उद्देश्य से पुनर्वास मंत्रालय के सुपुर्द कर दी गईं। मई १९५० तक देहली का दूसरा तम्बू मई १९५० तक सिन्ध के विस्थापितों के लिये प्रयुक्त किया जा रहा था। इस तम्बू को भी शीघ्र ही समाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(ख) देहली के तम्बू के लिय १९५२-५३ में पहरा और प्रतिपालन कर्मचारिवर्ग, साधारण मरम्मत, भवन सुरक्षा, ज़मीन के किराये आदि पर लगभग १५,१८७ रु० खर्च किया गया था।

**सरदार हुक्म सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उक्त स्थान पर रहने वाले विस्थापितों के लिय अन्यत्र रहने की व्यवस्था की गई है ?

**श्री दातार** : हां।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : विन्ध्य प्रदेश में सतना के निकट स्थित कैम्प के विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

**श्री दातार** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये। यह प्रश्न दो कैम्पों से सम्बन्धित है।

**श्री गिडवानी** : देहली कैम्प का आज कल क्या उपयोग हो रहा है जिस पर रुपया खर्च किया जा चुका है ?

**श्री दातार** : देहली कैम्प उपयोग के योग्य नहीं है। वह समाप्त किया जा रहा है।

**सेना छात्र**

*१०२६. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने राष्ट्र मण्डल देशों की सरकारों को पारस्परिक सद्भावना के प्रतीक स्वरूप अपने अपने सेना छात्र भारत भेजने के लिये आमंत्रण दिया था?

(ख) राष्ट्र मंडल देशों की कितनी सरकारों ने इस नियंत्रण का प्रत्युत्तर दिया है ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : हां। चार राष्ट्र-मंडलीय देशों से सेना छात्र आमंत्रित किये गये थे।

(ख) दो।

**डा० राम सुभग सिंह** : मैं उन देशों के नाम जानना चाहता हूं जहां से सेना छात्र आये हैं ?

**श्री सतीश चन्द्र** : ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया।

**डा० राम सुभग सिंह** : वे इस देश में कब आये थे और कितने दिन ठहरे।

**श्री सतीश चन्द्र** : वे यहां लगभग एक महीना ठहरे थे। जनवरी के मध्य में आकर वे यहां से फरवरी में लौट गये थे।

**डा० राम सुभग सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किन्हीं भारतीय सेना छात्रों को किसी राष्ट्र मंडल देश द्वारा आमंत्रित किया गया था और यदि ऐसा किया गया है तो कब ?

**श्री सतीश चन्द्र** : विगत दो वर्षों से ब्रिटेन की सरकार हमारे सेना छात्रों को ब्रिटेन में घूमने और उन के शिविरों में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित कर रही थी और हमारे कुछ छात्र सैनिक वहां भेजे गये थे। इस बार हम ने उन के सेना छात्रों को हमारे मिले जुले शिविरों में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया था और ये सेना-छात्र हमारे गणतन्त्र दिवस उत्सव में भी सम्मिलित हुए थे

**श्री द्विवेदी :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ सेना छात्र राज्य-तिलक समारोह में भी भाग ले रहे हैं ?

**श्री सतीश चन्द्र :** नहीं, श्रीमान् ।

**श्री एच० एन० मुखर्जी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि आमंत्रित किये गये राष्ट्र मंडल देशों में क्या दक्षिण अफ्रीका भी है ?

**श्री सतीश चन्द्र :** नहीं, श्रीमान् ।

**श्री जयपाल सिंह :** क्या मैं यह समझूं कि यह बन्दोबस्त पारस्परिक आधार पर जारी रहेगा । उन के सेना छात्रों को आमंत्रित करना और हमारे सेना छात्रों का ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्र मंडल देशों में जाना क्या भविष्य में नियमित रूप से जारी रहेगा ?

**श्री सतीश चन्द्र :** हां, श्रीमान् । यह स्वस्थ परिपाटी है । वे एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं और वे एक दूसरे को जानते हैं तथा उन से कुछ सीखते हैं । इस में परस्पर अनुग्रह का कोई प्रश्न नहीं है । हमें लगा कि यह प्रशिक्षण लाभप्रद है । हम ने बदले में उन्हें आमंत्रित किया ।

**डा० राम सुभग सिंह :** क्या सरकार को ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य किसी देश से सेना छात्र भेजने के सम्बन्ध में आमंत्रण प्राप्त हुआ है ?

**श्री सतीश चन्द्र :** मेरा विचार है कि अभी तक ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य किसी देश ने आमंत्रण नहीं दिया है ।

**श्री गोपाल राव :** क्या यह आमंत्रण केवल राष्ट्र मंडल देशों तक ही सीमित है अथवा सरकार इसे अन्य मैत्रीपूर्ण देशों के लिये भी विस्तीर्ण कर रही है ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि आमंत्रण अभी तक केवल एक देश से प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न नीति से सम्बन्धित है । अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

**विदेशों में सांस्कृतिक कार्य**

***१०२७. श्री एस० सी० सामन्त :** (क) **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विदेशों में सांस्कृतिक कार्य के लिये दो लाख रुपये का आनुमानिक बजट सन् १९५२-५३ में किस प्रकार खर्च किया गया है ?

(ख) उक्त अवधि में किन देशों से और कितने प्राध्यापकों तथा प्राध्यापकों का विनिमय किया गया है ?

(ग) इसी अवधि में कितने प्रतिनिधि मंडल और सांस्कृतिक मिशन बाहर भेजे गये और कितने विदेशों से भारत आये ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) सदन पटल पर विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १]**

(ख) और (ग) प्रश्न के (क) भाग में वर्णित योजना के अनुसार १९५२-५३ में न तो एक भी अध्यापक और प्राध्यापक और न प्रतिनिधि मंडल का ही विनिमय किया गया है । किन्तु एक वाद विवाद दल ब्रिटेन और एक विद्यार्थी प्रतिनिधि मण्डल न्यूयार्क हेराल्ड ट्रिब्यून फोरम में भाग लेने के लिये भेजे गये थे । अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिये दो व्यक्तियों को आंशिक आर्थिक सहायता दी गई थी ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि इंडियन हौस्पिस जेरूसलम को जो तीन हज़ार रुपये की ग्रान्ट दी गई है, वह मेंटेनेंस के लिये दी गई है या कोई दूसरी बिल्डिंग बनाने के लिये दी गई है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** मेंटेनेंस के लिये जो यह रकम दी गई है, बिल्डिंग के लिये

भी इस में रकम शामिल है या नहीं, यह मैं अभी नहीं बतला सकता ।

**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि यहां से जो केयर बुक्स मिली हैं वह हमारी सेन्ट्रल लायब्रेरी में रक्खी गई हैं या सारे भारत में बांटी गई हैं ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) :** अमेरीका से प्राप्त पुस्तकें कदाचित् संसद् सचिवालय में रखी हुई हैं किन्तु मैं इस सम्बन्ध में निश्चित नहीं हूं ।

**श्री के० सुब्रह्मण्यम् :** मैं यह जानना चाहता हूं, श्रीमान्, कि क्या कलाकारों, पत्रकारों और लेखकों का सरकारी अथवा अन्य स्तर पर विनिमय हुआ है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** नहीं, श्रीमान् । न तो सरकारी और न अन्य किसी स्तर पर ही ऐसा हुआ है ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विदेशों में कोई सांस्कृतिक जल्से हुए जिन में हिन्दुस्तान ने किसी प्रकार से भाग लिया, और अगर लिया तो किन किन मुल्कों में ? और सरकार ने कुछ सहायता दी है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** जी हां, विदेशों में जो सांस्कृतिक जल्से हुए हैं उन में जो संस्थायें या व्यक्ति यहां से गये हैं उन को सहायता दी गई है और सूची में उन के नाम दर्ज हैं ।

**श्री पुन्नूस :** यह बताया गया था कि कोई विद्यार्थी प्रतिनिधि मण्डल ब्रिटेन अथवा ऐसे ही किसी स्थान पर गया था । श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस का चुनाव किस भांति किया गया था—क्या यह किसी प्रतिनिधि संस्था की सहायता से किया गया था ?

**श्री के० डी० मालवीय :** प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये जाते हैं । व्यक्ति और संस्थाएं प्रेरित होती हैं और प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर सरकार इन पर विचार करती है और सहायता स्वीकृत कर दी जाती है ।

**बाबू रामनारायण सिंह :** शिक्षा विभाग की तरफ से जितने डेलिगेशन बाहर भेजे गये और शिक्षा सम्बंधी जितने डेलिगेशन यहां बारह से आये उनके आने जाने में कितना खर्च हुआ और उन से क्या लाभ हुआ ?

**मौलाना आजाद :** विस्तृत जानकारी अभी नहीं दी जा सकती ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकती हूं कि नार्वे में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनी में सरकार ने किसी कलाकार अथवा संगीतज्ञ को भेजा था ?

**श्री के० डी० मालवीय :** नार्वे में किसी कलाकार को भेजना इस योजना में सम्मिलित नहीं है । विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता की सूची मैं ने पहले ही बता दी है ।

**सेठ गोविन्द दास :** क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जहां तक पूर्वी देशों का सम्बंध है और उनमें भी खास कर जापान और स्याम का वहां के लोग इस बात के इच्छुक हैं कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आदान प्रदान को बहुत अधिक बढ़ाया जाय ? और यदि यह बात मालूम है तो जापान और स्याम के सम्बंध में क्या कोई विशेष प्रबंध सरकार द्वारा किया गया है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है उससे सरकार को बहुत प्रसन्नता है । जापान में बुद्धिस्ट सम्मेलन में भाग लेने के लिये सहायता दी

गई है । जापान में बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिये डा० अरबिन्द बरुआ को दी गई वित्तीय सहायता के आइटम की ओर में माननीय सदस्य का ध्यान दिलाता हूं ।

**प्रो० डी० सी० शर्मा** : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दूसरे देशों से अध्यापकों और प्राध्यापकों के विनिमय की योजना पर विचार किया जा रहा है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : जहां तक मुझे स्मरण है इस सम्बंध में सरकार के पास कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है । यदि ऐसे कोई प्रस्ताव हुए तो सरकार उन पर विचार करेगी ।

**श्री एस० सी० सामन्त**: इटली और बर्लिन में हिन्दी सीखने के लिये जो प्रोफेसर भेजे गये थे उनको पैसेज के लिये रुपया दिया गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि उनको कोई तनख्वाह वहां मिलती है या नहीं ? यदि नहीं मिलती है तो जो प्रोफेसर हमारे यहां आते हैं उनकी हम तनख्वाह देते हैं या नहीं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । सदन में बात चीत बहुत अधिक हो रही है ।

**श्री के० डी० मालवीय** : इस प्रकार तनख्वाह के आधार पर एक्सचेन्ज की कोई योजना नहीं है । जो व्यक्ति यहां से गये हैं उनको सरकार ने सहायता दी है और वह व्यक्ति हिन्दी शिक्षा के सम्बंध में गये हैं । मुझे यह नहीं मालूम है कि वहां सरकार से कोई वेतन मिलता है या नहीं ।

**मनीपुर की लोकटाक झील का परिमाप**

*१०२८. **श्री एल० जे० सिंह** : **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कलकत्ता स्थित भारत के प्राणिकीय आपरीक्षण के सहायक प्राणि-विद्या शास्त्री को मनीपुर में लोकटाक झील का परिमाप करने भेजा गया है;

(ख) उपर्युक्त (क) भाग की स्वीकारोक्ति की अवस्था में सहायक वैज्ञानिक का वहां क्या कार्य है, वह किस विषय का परिमाप कर रहे हैं और वह कितनी अवधि तक वहां ठहरेंगे ; और

(ग) इस परिमाप के सम्बन्ध में कौन सी विकास योजनायें नियोजित हैं ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस अधिकारी ने मनीपुर घाटी के जीवधारीयों और मुख्यत: जल जन्तुओं के विषय में परिमाप किया था और इस कार्य के लिये वह वहां ६ जनवरी से २१ फरवरी १९५३ तक ठहरा था ।

(ग) इस परिमाप का सम्बन्ध घाटी के पशु जीवन के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना है तथा यह किसी भी विकास योजना से असम्बद्ध है ।

**श्री एल० जे० सिंह**: श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भारत के प्राणिकीय आपरीक्षण दल को इम्फाल से २७ मील दूर दीमापुर-मनीपुर मार्ग पर एक गांव में जमीन के अन्दर चार सौ से छः सौ लाख पुराना मसीक्षेपी (cuttle fish) प्राप्त हुआ है ?

**श्री के० डी० मालवीय**: चूंकि यह विश्वास किया जाता है कि उक्त क्षेत्र लाखों वर्ष पूर्व एक झील के रूप में था जलचरों के सम्बन्ध में वहां कुछ दुर्लभ जानकारी प्राप्त हुई है । यह भी मालूम हुआ है कि मछली के विषय में कुछ बहुमूल्य बातें मालूम हुई हैं किन्तु मैं माननीय सदस्य द्वारा अपेक्षित ज्ञातव्य नहीं बता सकता ।

**श्री अमजद अली :** यह विशिष्ट प्रकार का मसीक्षेपी (कटल फिश) कितने वर्ष पुराना होगा ?

**श्री के० डी० मालवीय :** मुझे भय है कि मैं इस सम्बन्ध में निश्चित जानकारी नहीं दे सकता ।

**श्री अमजद अली :** क्या मनीपुर में इस प्रकार का कोई और पदार्थ मिला है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** श्रीमान्, मैं ने कहा था कि उस क्षेत्र के जीवों–जलचरों– के विषय में कुछ जानकारी एकत्रित की गई है । पूरा वृत्तान्त हमारे सामने नहीं है । इस दल ने अभी हाल ही में यह जानकारी प्राप्त की है और वे इस का विवरण तैयार करेंगे ।

**श्री वी० पी० नायर :** श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह केवल प्राणिकीय परिमाप ही था अथवा प्रस्तर आदि से भी उस का सम्बन्ध था ?

**श्री के० डी० मालवीय :** यह परिमाप जीवधारियों से सम्बन्धित था और इसे खनिज पदार्थों का परिमाप नहीं कहा जा सकता ।

**श्री जयपाल सिंह :** क्या इस क्षेत्र में परिमाप के समय गुलाबी सिर वाली बतकें भी मिली थीं ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय महोदय विवरण प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी अभी इस विवरण से अनभिज्ञ हैं । अभी इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं है ।

**श्री एल० जे० सिंह :** श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सूचना के कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

**श्री के० डी० मालवीय :** बहुत शीघ्र ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य सन्तुष्ट हैं ?

**श्री एल० जे० सिंह :** क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विवरण प्राप्त होने पर उसे सदन पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा ?

**श्री के० डी० मालवीय :** हां, श्रीमान् । विवरण इच्छानुसार ही पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

### मनीपुर जेल में सुधार

*१०३१. **श्री एल० जे० सिंह : राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार मनीपुर जेल में सुधार कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो उस कार्य के मुख्य विन्दु क्या हैं ;

(ग) क्या क़ैदियों द्वारा हाथ से चक्की पीसने और धान कूटने का काम अभी जारी है ;

(घ) क्या अशिक्षित बन्दियों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है ;

(ङ) क्या बन्दियों द्वारा वाणिज्य के स्तर पर बुनाई का काम समाप्त कर दिया गया है ;

(च) यदि ऐसा किया गया है तो उस का क्या कारण है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) और (ख) कुछ सुधार जारी किय गये हैं और मैं सदन पटल पर एक विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं जिस में सब प्रमुख लक्षण दिये गये हैं । **[देखो परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २]**

(ग) चक्की पीसना बन्द हो गया है किन्तु देनकी में पैरों से धान कूटने का काम अभी किया जाता है। नागरिक पूर्ति विभाग से

धान के स्थान पर चावल मिलने पर यह भी बन्द कर दिया जायेगा ।

(घ) यह सुधार योजना बाल-अपराधियों के लिये प्रारम्भ कर दी गई है और क्रमशः दूसरों पर लागू की जायेगी ।

(ङ) नहीं । राज्य के औषधि और पशु चिकित्सालय विभाग फीते, पट्टियां, चादरें और मच्छरदानियां जेल से ही प्राप्त करते रहे हैं, अन्य विभागों को झाड़न और मेज़ पोश की पूर्ति की जा रही है ।

(च) यह प्रश्न उद्भव नहीं होता है ।

**श्री एल० जे० सिंह:** विवरण में बताया गया है कि छोटी उम्र के क़ैदियों के लिये एक सुधार शाला खोली गई है और उस में पांचवीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रौढ़ बंदियों के लिये भी सुधार शाला आरम्भ करने का विचार रखती है ?

**डा० काटजू:** माननीय मित्र के कहने का ढंग इस प्रकार है कि हमें उन का अभिप्राय गृहण करना कठिन है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सदस्य महोदय इस बात से परिचित हैं कि बाल अपराधियों के लिये एक सुधार शाला खोली गई है वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार प्रौढ़ बन्दियों के लिये भी सुधार शाला खोलने का विचार रखती है ।

**डा० काटजू:** मैं संसार के किसी भी स्थान का नाम जानना चाहता हूं जहां प्रौढ़ बन्दियों के लिये सुधारशालायें हैं ।

**श्री एन० श्रीकान्तन नायर:** विवरण से यह प्रकट है कि सुधार कार्य के अनुसार बाजार से शाक भाजी खरीदना बन्द कर दिया गया है और केवल बगीचे में पैदा होने वाली वनस्पतियां ही काम में लाई जाती हैं । क्या इस का अर्थ यह हुआ कि बगीचे में आवश्यक शाक न होने की अवस्था में बन्दियों को शाक नहीं दी जायगी ?

**डा० काटजू** : वस्तुतः मैं इन छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना चाहता ।

**श्री अमजद अली** : इन सुधारों के सम्बन्ध में क्या मैं यह जान सकता हूं कि गन्नी मजदूरी का अन्त कर दिया गया है और मच्छरदानियां प्रयुक्त की जा रही हैं ?

**डा० काटजू** : मैं नहीं कह सकता किन्तु मैं यह जानता हूं कि जेलवास में मुझे कभी मच्छरदानी नहीं मिली ।

**श्री अमजद अली** : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है । श्रीमान्, मैं इसे आप के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, मैं आप का पथप्रदर्शन चाहता हूं । क्या इसी भांति प्रश्न का उत्तर दिया जाता है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है । माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर की बात जाने दीजिये, मैं स्वयं भी प्रश्न नहीं समझ सका ।

**श्री अमजद अली** : माननीय मंत्री जी से यह पूछा गया था कि क्या जल में तृतीय श्रेणी के बन्दियों को मच्छरदानियां दी जाती हैं । उन्हों ने उत्तर दिया कि अपने जेल जीवन में उन्हें मच्छरदानी नहीं मिली थी। मंत्री महोदय प्रथम श्रेणी के बन्दी थे, मच्छर दानी उन्हें न मिली होगी । सत्य तो यह है कि तीसरी श्रेणी के बन्दियों को वह दी जानी चाहिये । मैं यह भी जानना चाहता था कि क्या गन्नी मजदूरी का अन्त कर दिया गया है ।

**उपाध्यक्ष महोदय:** शान्ति, शान्ति । यह तर्क व्यर्थ है । यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहें कि तीसरी श्रेणी के बन्दियों को मच्छरदानियां मिलती हैं अथवा नहीं तो यह अलग प्रश्न है । माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में विवाद कर सकते हैं ।

**श्री पुन्नूस :** माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि छोटी उम्र के बन्दियों को शिक्षा दी जाती है और इसीलिये एक स्कूल की आयोजना की गई है । क्या मैं इस स्कूल के छात्रों और अध्यापकों की संख्या जान सकता हूं ?

**डा० काटजू :** मेरे पास अभी बिष्तृत जानकारी नहीं है । इस सम्बन्ध में अलग से प्रश्न पूछिये ।

**भारतीय और विदेशी नौ सेना के संयुक्त अभ्यास**

*१०३२. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०, १९५१ और १९५२ में भारतीय और विदेशी नौ सेना द्वारा किये गये संयुक्त अभ्यास की कितनी संख्या है ?

(ख) इन अभ्यासों में किन देशों ने और कहां पर भाग लिया था ?

(ग) इन अभ्यासों का अभिप्राय क्या था ?

**रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) १४ ।

(ख) (i) ब्रिटेन, श्रीलंका और पाकिस्तान ।

(ii) स्थान निम्न हैं :—

ट्रिनकोमाली (श्रीलंका)
भारतीय महासागर
अरब सागर
अदन की खाड़ी
बंगाल की खाड़ी
मलक्का जल डमरु मध्य
सिंगापुर ।

(ग) भारतीय नौ सेना के अधिकारियों और सैनिकों को कुशलतापूर्वक जहाज़ चलाने और युद्ध अस्त्रों की शिक्षा देना ।

**श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या यह मान लिया जाये, श्रीमान्, कि हमारी नौ सेना का ज्ञान मंत्री महोदय द्वारा उल्लेख किये गये विदेशों के युद्धाभ्यास और सामर्थ्य का प्रतिरूप है ?

**श्री सतीश चन्द्र :** हमारी अपेक्षा ब्रिटेन का ज्ञान असंदिग्ध रूप से बढ़ा चढ़ा है ।

**निजी कम्पनियों और कारखानों से कुशल कारीगरों को तैयार करना**

*१०३३. **श्री एम० आर० कृष्ण : रक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कारखानों और निजी कम्पनियों से कुशल कारीगरों को संकटकालीन रक्षित अनुपूरक दृष्टि से तैयार करने के लिये सरकार के पास कोई योजना है ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** हां । भारतीय सशस्त्र सेना में एक अतिरिक्त रक्षित दल निर्माण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

**श्री एम० आर० कृष्ण :** किन शर्तों पर इन्हें संकट काल में सेना में नौकरी के लिये रखा जायेगा ?

**सरदार मजीठिया :** मैं ने कहा कि यह सरकार के विचाराधीन है और जब सरकार निर्णय कर लेगी तब संभवतः आप उसे जान लेंगे ।

**राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का अनुसन्धान कार्यक्रम**

*१०३५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अनुसन्धान कार्य को अन्तिम स्वरूप कौन देता है ?

(ख) इन कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देते समय क्या भारतीय उद्योग की

आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है, इस के लिये क्या व्यवस्था है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय):** (क) और (ख)। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का अनुसन्धान कार्यक्रम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अन्तर्गत प्रयोगशालाओं के संचालकों द्वारा तैयार किया जाता है। जनता, उद्योग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान बोर्ड की अनुसन्धान समितियों और सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त सुझावों पर विचार करने के पश्चात् ही ये कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान बोर्ड के औद्योगिक सदस्य और वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद् की शासिका सभा भी समय समय पर सुझाव प्रस्तुत करते हैं। उद्योगपति और वैज्ञानिक शासिका सभा के सदस्य हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला के सलाहकार बोर्ड में भारतीय उद्योग की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित उद्योग में रुचि रखने वाले औद्योगिकों को सम्मिलित किया जाता है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** श्रीमान्, हम यह जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा पूरे किये गये एकस्व (पेटेन्ट) किन शर्तों पर औद्योगिकों को दिये जाते हैं ?

**श्री के० डी० मालवीय:** प्रत्येक एकस्व के व्यक्तिगत गुणों पर विचार किया जाता है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** मेरा प्रश्न यह नहीं है। उद्योगपतियों को वे किन शर्तों पर दिये जाते हैं।

**श्री के० डी० मालवीय:** साधारणतया, जब अनुसन्धान किया जाता है तथा अन्वेषण पूरा हो जाता है और इस के लिये एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिये जाते हैं तब अधिकार शुल्क के आधार पर उद्योगपतियों को ये दे दिये जाते हैं।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** मैं यह जानना चाहती हूं, श्रीमान्, कि गत वर्ष उस प्रकार कितनी विधियां उद्योगपतियों को दी गई हैं और उन के नाम क्या हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न से यह बात किस प्रकार उद्भव होती है ?

**श्री के० डी० मालवीय:** मैं उसे नहीं बता सकता। माननीय सदस्य यदि सही अंक जानना चाहें तो वह अलग प्रश्न रख सकती हैं।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** श्रीमान्, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या पंचवर्षीय योजना की कोई सहयोगिनी योजना है और यदि ऐसा है तो प्रयोगशालाओं द्वारा प्रेषित योजना पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार एकीकृत की जायेगी ?

**श्री के० डी० मालवीय:** प्रयोगशालाओं के किये जाने वाले अनुसन्धान पंचवर्षीय अथवा सप्तवर्षीय योजना में समाविष्ट नहीं किये जा सकते। जब कभी अनुसन्धान किये जाते हैं तथा अन्वेषण और शोध कार्य पूरे होते हैं वे व्यक्तिगत अनुसन्धान माने जाते हैं। इनपर विचार-विमर्श करने और उन्हें वितरित करने के लिये उपयुक्त समितियां और निकाय हैं। सरकार स्वयं उन्हें वितरित करती है अथवा वे अन्य उद्योगों को दे दी जाती हैं।

**श्री दामोदर मेनन:** सलाहकार परिषद में उद्योगपतियों को प्रतिनिधित्व देने के अतिरिक्त क्या कोई निश्चित योजना है जिस की सहायता से ये अनुसन्धान प्रयोगशालायें उद्योग की आवश्यकताओं से सहयोग स्थापित कर सकें ?

**श्री के० डी० मालवीय:** हां योजनायें हैं और उन का अनुकरण किया जा रहा है।

**श्री बंसल:** माननीय मंत्री जी किन योजनाओं की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

**शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद)** : इस कार्य के लिये एक विशेष विकास निगम बनाये जाने की योजना है ।

**श्री वी० पी० नायर** : मैं यह जानना चाहत हूं कि खाद्याभाव की कमी और समुद्र के गहरे पानी में मछली पकड़ने के भारी क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार के पास गहरे पानी में मछलिया पकड़ने के सम्बन्ध में कोई योजना है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : खाद्याभाव की समस्या हल करने के लिये गहरे पानी में मछली पकड़ने के प्रश्न से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में वाल्टेयर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक विभाग है और वह इस दिशा में कुछ काम कर रहा ।

**श्री वी० पी० नायर** : क्या मैं यह समझूं कि प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय इसे इतने महत्वहीन समझता है ?

**मौलाना आजाद** : नहीं। खाद्य मंत्रालय इस दिशा में प्रयत्नशील हैं ।

**श्री वी० पी० नायर** : अंग्रेजो में बोलिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अंग्रेजी में बोलो नहीं अंग्रेजी म बोलिये ।

दसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या १०३६ ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्रीमान्, मैं एक निवेदन करना चाहती हूं। जब माननीय मंत्री महोदय विवरण पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत करने के लिये कहते हैं और यदि वे दो पृष्ठों से अधिक हों तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि दस या बारह मिनट पूर्व देने की अपेक्षा वे हमें एक दिन पहले दे दिये जाया करें ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बाद म अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह कभी सम्भव प्रतीत नहीं होता है, श्रीमान् ।

**श्री के० डी मालवीय** : यह प्रश्न अत्यन्त व्यापक है कि प्रयोगशालायें घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योगों को क्या सहायता दे रही हैं.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इतना ही कहूंगा कि जब ये तथ्य सरकार के पास आ जाते हैं और वह उन्हें एक दिन पूर्व सूचना कार्यालय में रखने की स्थिति में है तो उन्हें ऐसा कर देना चाहिये ।

**छोटे पैमाने पर उद्योग धन्धे**

*१०३६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (क) **प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी भी प्रयोगशाला ने अभी तक छोटे पैमाने के उद्योग धन्दों की उन्नति के लिये कोई कार्य किया है;

(ख) यदि ऐसा किया गया है तो उस की विस्तृत रूप रेखा क्या है ;

(ग) वाणिज्य की दशाओं में कहां तक इन का उपयोग किया गया है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना की जानकारी हेतु एक विवरण पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है। **[देखो परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३]**

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्रीमान्, मैं जानना चाहती हूं कि जिन ४०० दलों को सलाह देने का उल्लेख किया गया है उन में व्यक्ति कितने हैं तथा कम्पनियों और सहकारी संस्थाओं की संख्या क्या है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : श्रीमान्, मुझे भय है कि मैं यह संख्या अलग अलग नहीं बता सकता। उत्तर में केवल यही उल्लेख किया गया है कि ४०० पार्टियों को सलाह दी गई थी।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहती हूं कि वे व्यक्ति जो इन प्रयोगों से लाभ उठाना चाहते हैं क्या सीधे प्रार्थनापत्र दे कर इसे प्राप्त कर सकते हैं ?

**श्री के० डी० मालवीय** : हां।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहती हूं कि व्यापारिक कार्यों में इन अनुसन्धानों की सफलता अथवा असफलता पर अध्ययन करने के लिये क्या कोई व्यवस्था है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : इन उद्योगों का सदैव स्वागत किया जाता है कि वे प्रयोगशाला के समक्ष अपनी कठिनाइयां उपस्थित करें और जब कभी वे ऐसा करते हैं उन्हें समुचित सहायता दी जाती है। प्रयोगशालाओं के संचालक हर समय मदद करने के लिये तत्पर हैं।

**श्री जांगड़े** : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने खादी के चरखे में ऐसा कोई सुधार किया है कि जिस से चरखा गांव गांव में पहुंचाया जा सके और सस्ते दाम पर मिल सके और बनाया जा सके ?

**श्री के० डी० मालवीय** : इन लैबोरेटरीज से तो कोई सम्बंध चरखे की तरक्की का नहीं है, लेकिन और जगह गालिबन यह काम ज़रूर हो रहा है।

**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या सहकारी संस्थाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : यह प्रश्न नीति का है और सम्बन्धित मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है।

**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : क्या यह अनुसन्धान संस्था अथवा समिति अथवा क्या ये राष्ट्रीय प्रयोगशालायें किसी वैयक्तिक गृह उद्योग को ले कर उन में अनुसन्धान करती हैं और सुधार के लिये विचार करती हैं अथवा .... (**अन्तर्बाधा**)

**श्री के० डी० मालवीय** : वे इस प्रकार किसी गृह उद्योग को नहीं लेती हैं। वे मूलभूत और व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करती हैं और जो समस्यायें हल हो जाती हैं किसी भी उद्योग के विस्तार के लिये उन का उपयोग किया जाता है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या बाजार की स्थिति की भी जांच की जा कर उस पर सलाह दी जाती है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : हां, योजना के व्यापारिक पहलू पर भी ध्यान दिया जाता है और उपयुक्त सलाह दी जाती है।

**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि विशेष रूप से चमड़ा उद्योग और साधारण तौर पर अन्य घरेलू उद्योगों में काम करने वालों को प्रयोगशालाओं के अनुसन्धान कार्य से लाभ कराने के लिये क्या किया गया है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : दक्षिण में अनुसन्धान शालाओं ने चमड़ा आदि छोटे उद्योगों से सम्बन्धित विविध समस्याओं को हल किया है।

**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : मेरा प्रश्न यह है— अनुसन्धान के परिणामों को चमड़ा उद्योग में काम करने वालों तक ले जाने के लिये कौन सी प्रणाली है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : संस्था के प्रकाशन हैं और मांगने पर प्रत्येक व्यक्ति के पास ये भेजे जाते हैं। इन कार्यों में लगे हुए कार्यकर्ताओं में भी यह प्रकाशित सामग्री परिचारित की जाती है।

**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि चमड़ा उद्योग में काम करने वाले अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित हैं और इसलिए वे पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धान संस्था में गये हैं ?

**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : हां श्रीमान् ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या उन्हों ने वहां होने वाला कार्य देखा है ?

**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : हां, श्रीमान् ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह क्या है ? इस प्रकार की विस्तृत जानकारी अनावश्यक है । माननीय सदस्यों को वहां जा कर देखना चाहिये कि किस तरह इस का प्रचार किया जाता है ।

**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : नहीं, श्रीमान् । यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस के उत्तर की आवश्यकता है । इस उद्योग में अधिकांश कार्यकर्त्ता अशिक्षित हैं और मैं यह जानना चाहता हूं .....(**अंतर्बाधा**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं किसी को दबाना नहीं चाहता । जो कुछ मैं कह रहा हूं उस का अभिप्राय यह है कि बहुत से कार्य किये जा रहे हैं । मैं सरकार की ओर से प्रचार नहीं कर रहा हूं किन्तु माननीय सदस्यों को ऐसी साधारण बातें पूछने की अपेक्षा कि प्रकाशन सामग्री किस भांति प्रचारित की जाती है स्वयं इन्हें देखना चाहिये । किसी काल्पनिक विषय पर प्रश्न पूछा जा सकता है किन्तु जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं ने योजना आयोग के वाद विवाद में भाग लिया है और यद्यपि मैं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं मुझे यह बात बड़ी कर्णकटु लगती है कि कार्य का वास्तविक स्वरूप और विस्तार न जानते हुए भी प्रश्न पूछे जाते हैं । अतः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे कार्य से परिचित होने के लिये विभिन्न प्रयोगशालाओं में जाकर देखें ।

**श्री बी० एस० मूर्त्ति**: मुझे आप का निर्णय स्वीकार है किन्तु मेरी कठिनाई यह है । मैं वह प्रणाली जानना चाहता हूं जिस की सहायता से अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना चमड़ा उद्योग के कार्यकर्त्ताओं तक पहुंचाई जाती है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने कह दिया है कि पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं और तत्सम्बन्धी उद्योगों के पास भेज दी जाती हैं ?

हम दूसरा प्रश्न लेंगे ।

**मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान संस्था**

*१०३७. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान संस्था के क्या कार्य हैं ?

(ख) उस की संचालन समिति के सदस्य कौन हैं ?

(ग) इस संस्था के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

(घ) क्या इस संस्था में विदेशी भी काम करते हैं ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान संस्था का मुख्य कार्य चुनाव बोर्ड की कार्य प्रणाली का अनरत विवेचन करते रहना है ताकि उम्मीदवारों पर प्रयुक्त किये गये मापदण्ड की प्रामाणिकता की सुरक्षा और नवीनतम मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानों के अनुसार उन की व्याख्या की जा सके । चुनाव के पश्चात नियुक्त किये गये तीनों सेवाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का उत्तरदायित्व भी इसी पर है ।

(ख) मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग रक्षा विज्ञान संस्था का ही एक भाग है और इस तरह वह सीधे रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत है । मुख्य मनोवैज्ञानिक डा० सोहन लाल इस के अध्यक्ष हैं तथा एक ज्येष्ठ और चार छोटे मनोवैज्ञानिक उन के सहायक हैं ।

(ग) इस संस्था के कर्मचारियों की संख्या निम्न है :—

| | |
|---|---|
| अधिकारी (असैनिक ७ और सैनिक ६) | १३ |
| जे० सी० ओ० | ३ |
| अंक सम्बन्धी सहायक | ६ |
| मंत्रालय कर्मचारी वृन्द | २० |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | १३ |
| योग | ५५ |

(घ) नहीं ।

**श्री एच० एन० मुखर्जी**: यह संस्था कितने समय पूर्व स्थापित की गई थी और इस संस्था के कार्य के परिणाम के सम्बन्धे में मंत्रालय की क्या सूचना है ?

**सरदार मजीठिया** : यह संस्था १९४३ के लगभग स्थापित की गई थी और जहां तक इस के परिणाम का प्रश्न है सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि यह निरन्तर उन्नति कर रही है । इस संस्था के निर्माण के पूर्व ३९·८ प्रतिशत नियुक्तियां अस्वीकृत की जाती थीं किन्तु विगत अवधि में यह संख्या घट कर ४·८ प्रतिशत रह गई है ।

**श्री जयपाल सिंह** : इस अनुसन्धान संस्था से कितने मनोविज्ञान चिकित्सक सम्बन्धित हैं ?

**सरदार मजीठिया** : जैसा कि मैं ने अभी बतलाया था एक मुख्य मनोवैज्ञानिक है और एक सीनियर मनोवैज्ञानिक ।

**श्री जयपाल सिंह** : मैं ने पूछा था कि कितने मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं ?

**सरदार मजीठिया** : दो ।

**श्री एस० सी० सामन्त** : मैं यह जानना चाहता हूं कि देहरादून स्थित हमारी राष्ट्रीय अकादमी के छात्र सैनिकों के गहन अध्ययन का क्या परिणाम है ।

**सरदार मजीठिया** : हां, उन का अध्ययन किया जा रहा है । यही नहीं किन्तु आज्ञप्त अधिकारी बन जाने के चार या पांच वर्ष बाद भी उन के रहन सहन का अध्ययन किया जा रहा है । जैसा मैं ने कहा है इस संस्था का कार्य अत्यन्त संतोषजनक है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न ।

**श्री नामधारी** : क्या सरकार का विचार है कि साम्यवादी सदस्यों की शोषण कला का पर्दाफाश करने के लिये उन के मनोवैज्ञानिक अध्ययन हेतु एक विभाग प्रारम्भ कर दिया जाय ?

**रिजर्व बैंक के भवन का निर्माण**

***१०३८. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में रिज़र्व बैंक के भवन निर्माण का निरीक्षण करने के लिये कौन सी सरकारी समिति है ?

(ख) यह निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और उस के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

**वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत)** : (क) इस सम्बन्ध में किसी सरकारी निरीक्षण समिति का प्रश्न नहीं है क्योंकि भवन निर्माण का उत्तरदायित्व रिज़र्व बैंक पर है और बैंक ने इस कार्य के लिये उपयुक्त व्यवस्था कर ली है ।

(ख) भवन निर्माण का कार्य १ अक्टूबर १९५२ को प्रारम्भ हुआ था और यदि आवश्यक

निर्माण सामग्री समय पर मिलती गई तो यह कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर पूर्ण हो जायेगा ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कार्य के लिये कितने ठेकेदारों ने टेंडर भेजे थे, इन में सब से न्यूनतम टेंडर कितना था, और क्या सम्बन्धित अधिकारियों ने इसी न्यूनतम टेंडर को स्वीकार किया था ?

**श्री बी० आर० भगत :** मैं प्रार्थी ठेकेदारों की संख्या नहीं बता सकता किन्तु ठेका सब से न्यूनतम टेंडर को ही दिया गया था ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक ठेकेदार के विरुद्ध ये आरोप थे कि उस ने भद्दुगढ़ हवाई अड्डे के निर्माण के सम्बन्ध में ११ लाख रु० की सार्वजनिक सम्पत्ति के साथ धोखा किया है ?

**श्री बी० आर० भगत :** मुझे यह मालूम नहीं है ।

**श्री गोपाल राव :** मैं यह जानना चाहता हूं कि इस निर्माण की लागत कितनी है ?

**श्री बी० आर० भगत :** साधारण भवन की लागत अनुमानत: ७२,३८,००० रु० है ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या २३ जनवरी १९५३ को ठेकेदार ने एक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी - २६ वर्ष के व्यावहारिक अनुभव वाले एक जूनियर सिविल इंजीनियर पर अभ्याघात किया था ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्तुत प्रश्न के अन्तर्गत यह सब क्योंकर उत्पन्न हो सकता है ? यदि कभी किसी क्लर्क पर अभ्याघात होता है अथवा किसी कर्मचारी पर अभ्याधान होता है तो क्या हमें इन सब मामलों को यहां लाने की आवश्यकता है ?

**श्री वैलायुधन :** मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अनुमानित लागत मूल्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित किसी अन्य समिति ने यह काम किया था ?

**श्री बी० आर० भगत:** जैसा मैं ने कहा यह प्रश्न सर्वथा रिज़र्व बैंक से सम्बन्धित है । सरकार के पास केवल अधीक्षण करने का अधिकार है । मेरा विश्वास है कि रिज़र्व बैंक ने इस अनुमानित मूल्य को तैयार करने में किसी इंजीनियर से सलाह ली थी ।

**श्री वैलायुधन :** पूर्व अवसरों पर भवन निर्माण कराने के समय क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अनुमान तैयार करने और भवन निर्माण करने का काम नहीं सौंपा गया था ?

**श्री बी० आर० भगत :** मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या रिज़र्व बैंक की सदैव यह परिपाटी रही है कि भवन निर्माण कार्य के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सेवायें प्राप्त की जायें ।

**श्री वी० पी० नायर :** इस ठेकेदार का पूर्व वृत्तान्त निश्चित करने में अधीक्षण के अधिकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया था ?

**श्री बी० आर० भगत :** इस विषय में अधीक्षण अधिकार उत्पन्न नहीं होता ।

**श्री बी० एस० मूर्त्ति :** श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि भवन की रूप रेखा तैयार करने का कार्य किस शिल्पी के सुपुर्द किया गया है ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने पहले ही कह दिया है कि सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रिज़र्व बैंक का है । सरकार केवल निरीक्षण

कर रही है । क्या माननीय मंत्री महोदय को शिल्पी का नाम ज्ञात है ?

**श्री बी० आर० भगत** : मुझे शिल्पी का नाम मालूम नहीं है ।

**किट्टूर चन्नामा का किला**

*१०३१. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई राज्य में बेलगाम जिले के 'किट्टूर' चन्नामा किले' को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने के लिये सरकार के समक्ष किसी संस्था अथवा जनता की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया है ; और

(ख) यदि ऐसा किया गया है तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). नहीं, किन्तु इस प्रश्न की सहायता से जानकारी होने के पश्चात् पुरातत्व के प्रमुख अधिकर्त्ता से विवरण भेजने को कहा गया है ।

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बेलगाम जिले की एतिहासिक संस्था ने सरकार से इस किले को लेने के लिये प्रार्थना की है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : नहीं, पहले ही कह चुका हूं ।

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के निवासियों का अंग्रेज़ी प्रधान्य के विरुद्ध किये गये विद्रोह का वर्णन क्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में सम्मिलित किया जायगा ?

**श्री के० डी० मालवीय** : माननीय सदस्य कुछ और सोच रहे हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह कौन सी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ?

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य इतिहास में इस किले के इतिहास को सम्मिलित करने के लिये संस्था ने सरकार से प्रार्थना की है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : किन्तु वर्तमान प्रश्न से यह किस प्रकार उद्भव होता है ?

**होशियारपुर राम बस्ती शिविर**

*१०४०. **श्री राम दास** : **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जिस जमीन पर विस्थापित विधवाओं और अनाथों के लिये होशियारपुर (पंजाब) राम बस्ती शिविर स्थित है वह सरकारी सम्पत्ति है अथवा राम बस्ती शिविर कम्पनी, होशियारपुर की है ;

(ख) यदि यह भूमि कम्पनी की है तो क्या सरकार विस्थापित विधवाओं और अनाथों के लिये शिविर बनाने के सम्बन्ध में उसे प्राप्त करने का कोई इरादा रखती है ;

(ग) यदि उपर्युक्त (क) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कम्पनी की समूची भूमि को ग्रहण करेगी अथवा उस का कुछ ही भाग;

(घ) क्या इस भूमि को प्राप्त करने के सम्बन्ध में शर्तें तय कर ली गई हैं, यदि ऐसा है तो वे शर्तें क्या हैं;

(ङ) क्या भारत सरकार को पंजाब सरकार से उक्त भूमि प्राप्त करने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) ये प्रस्ताव क्या हैं और किस श्रेणी पर हैं ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) २४·८२ एकड़ भूमि में जिस पर कि यह गृह निर्धारित किया गया है १७·६४

एकड़ राम बस्ती की सम्पत्ति है । शेष भूमि पर अन्य निजी दल का स्वामित्व है ।

(ख) हां ।

(ग) भूमि का केवल वही भाग प्राप्त किया जायेगा जिस पर गृह निर्धारित है ।

(घ) इन शर्तों पर अभी समझौता होना शेष है ।

(ङ) हां ।

(च) राज्य सरकार ने २४.८२ एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिये १,१७,२०० रु० मूल्य की सिफारिश की है । अन्य विस्तृत बातें अभी तय होना शेष हैं । ये प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिये गये हैं ।

**डा० रेकलेस की बन्दीगृह सुधार योजना**

*१०४१. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर:** **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्री रेकलेस ने भारत में बन्दीगृहों के सुधार के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई योजना उपस्थित की है; और

(ख) क्या भारत सरकार का इस योजना को क्रियान्वित करने का विचार है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). श्री रेकलेस द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को उपस्थित किये गये वृत्तान्त की एक प्राथमिक "प्रतिबन्धित" प्रति सरकार को प्राप्त हुई है । वृत्तान्त के पूर्ण भाषान्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । इस के प्राप्त होने पर राज्य सरकारों की सलाह से विचार विमर्श किया जायगा ।

**श्री एन० श्रीकान्तन नायर:** श्रीमान् मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस वृत्तान्त में बन्दीगृहों के समूचे शासन के आमूल परिवर्तन पर ज़ोर दिया गया है ?

**श्री दातार :** वृत्तान्त का विषय कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित होने के परिणामस्वरूप मैं उसे यहां नहीं बता सकता ।

**श्री बी० एस० मूर्त्ति :** श्रीमान् मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री रेकलेस ने यह वृत्तान्त राष्ट्रसंघ के सम्मुख उपस्थित किया था और यदि यह तथ्य सही है तो क्या उस की एक प्रति भारत सरकार के पास भेजी गई थी ?

**श्री दातार :** यह वृत्तान्त भारत सरकार के लिये तैयार किया गया था किन्तु उसे उपस्थित किया गया संयुक्त राष्ट्र के समक्ष और संयुक्त राष्ट्र से उस की एक प्राथमिक प्रति हमें प्राप्त हुई है ।

**श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार श्री रेकलेस के वृत्तान्त की उपस्थिति अथवा उस के अभाव में बन्दियों को कोड़े लगाने की सज़ा बन्द करने आदि सुधार प्रारम्भ करने का विचार कर रही है ?

**श्री दातार :** वर्तमान प्रश्न से यह विषय उद्भव नहीं होता ।

**श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या रेकलेस-वृत्तान्त सदस्यों में परिचारित किया जायगा ?

**श्री दातार :** यदि वृत्तान्त पर प्रतिबन्ध हटा दिया गया तो इस के लिये विचार किया जायेगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रतिबन्ध होने और न होने से क्या तात्पर्य है ?

**श्री दातार :** वृत्तान्त का उपयोग भारत सरकार और राष्ट्र संघ के अधिकारियों तक ही सीमित है; अन्य व्यक्तियों को यह अप्राप्य है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** उस पर नियंत्रण किसने लगाया है ?

**श्री दातार** : यह राष्ट्र संघ द्वारा नियंत्रित है ।

**श्री पुन्नूस** : मैं यह जानना चाहता हूं क्या श्री रेकलेस ने भारतीय जेलों को देखा था और वहां की स्थिति का अध्ययन किया था और यदि यह सही है तो उन्हों ने कितने बन्दियों से भेंट की थी ?

**श्री दातार** : यह सब पहले बतलाया जा चुका है । सदन में तीसरी बार श्री रेकलेस का विषय प्रस्तुत हुआ है । पूर्ण जानकारी पहले दी जा चुकी है ।

**"महामहिम" और "माननीय"**

***१०४२. श्री अमजद अली** : **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राज्य के राज्यपालों और मंत्री वृंद (राज्य और केन्द्र) के लिये प्रयुक्त क्रमशः "महामहिम" और "माननीय" शब्द शासकीय तौर से हटा दिये गये हैं ; और

(ख) क्या कोई ऐसा महिमाशाली व्यक्ति है जिसके लिये उक्त दोनों में से किसी भी शब्द का उपयोग किया जाता है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार)** : (क) हां ।

(ख) इन प्रतिष्ठा सूचक पदवियों का उपयोग वहीं किया जाता है जहां अन्तर्राष्ट्रीय रीति, शिष्टता अथवा संसदीय प्रथा की दृष्टि से यह आवश्यक हो ।

**श्री अमजद अली** : संसदीय प्रथा का क्या अभिप्राय है ?

**श्री दातार** : संसदीय प्रथा से हमारा अर्थ उस प्रथा से है जिसका हम अनुसरण करते हैं । हम एक दूसरे से माननीय सदस्य अथवा माननीय मंत्री कह कर सम्बोधन करते हैं ।

**आसाम का भू परिमाप**

***१०४५. श्री बेली राम दास** : (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम राज्य में भूपरिमाप किया गया था ?

(ख) उपर्युक्त तथ्य सही होने की अवस्था में यह किन ज़िलों में किया गया था ?

(ग) इस प्रकार के परिमाप का क्या परिणाम हुआ ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). गत पांच वर्षों में आसाम के जिन ज़िलों में भू मानचित्र तैयार किये गये और महत्वपूर्ण आर्थिक खोज की गई है उसका विस्तृत वर्णन सदन पटल पर रख दिया गया है । [**देखो परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४**) । भारतभू परिमाप द्वारा प्रकाशित विवरण सहित इस परिमाप का वृत्तान्त भी सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है । [**देखो परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४**]

**श्री बेली रामदास** : इन साधनों का उपयोग करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : यह विषय राज्य सरकारों से सम्बन्धित है ।

**श्री बेली रामदास** : क्या सरकार हाल की इस समाचार विज्ञप्ति से परिचित है कि लखीमपुर ज़िले के नहारकोटिया में बड़ी मात्रा में कच्चा धातु पाया गया है और इसे काम में लेने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने अभी कहा कि इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है ।

**श्री जी० पी० सिन्हा** : आसाम में भू परिमाप के फलस्वरूप रक्षित पेट्रोल की कितनी मात्रा मालूम की गई है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : जैसा मैं ने कहा लखीमपुर ज़िले में तैल मिला है । मुझे उसकी मात्रा के विषय में ज्ञान नहीं है ।

**श्री अमजद अली** : मंत्री महोदय का कथन है कि परिमाप सम्बन्धी कार्य राज्य सरकार से सम्बन्धित है तो क्या आसाम सरकार के यहां प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : परिमाप कार्य का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है किन्तु परिमाप के परिणामों का उपयोग करना राज्य सरकार पर निर्भर है ।

**श्री जयपाल सिंह** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि 'पेट्रोल' केन्द्रीय विषय है क्या माननीय मंत्री जी के कथन का यह तात्पर्य है कि पेट्रोल के उपयोग का प्रश्न राज्यों पर छोड़ दिया गया है और केन्द्र का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है ?

**मौलाना आज़ाद** : माननीय सदस्य सही हैं । किन्तु आसाम के परिमाप का सम्बन्ध केवल पेट्रोल से ही नहीं है किन्तु अधिकतर वह कोयला तथा अन्य वस्तुओं से सम्बन्धित है और इनके उपयोग का उत्तरदायित्व राज्यों पर है ।

**श्री जयपाल सिंह** : जी हां । मगर मेरे दोस्त ने कहा कि पेट्रोलियम .....

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न पेट्रोल की अनुमानित मात्रा के सम्बन्ध में था । मंत्री महोदय ने कहा कि उन के पास इसकी सूचना नहीं है ।

**श्री अमजद अली** : यह कार्य राज्य सरकार का नहीं केन्द्रीय सरकार का है । राज्य सरकार उससे किस प्रकार सम्बंधित है ?

**मौलाना आज़ाद** : इस काम को दो भागों में बांटा जा सकता है । प्रथम भाग का सम्बन्ध परिमाप से है जिसका उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है । किन्तु परिमाप के पश्चात्, उदाहरण के लिये मान लीजिये यह मालूम हुआ कि अमुक स्थान पर कोयला उपलब्ध है तो उसके उपयोग का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार पर है ।

### वार्धक्य वय

*१०४६. **श्री एन० एस० जैन** : **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की वार्धक्य (प्राप्तवयस्कता) उम्र ५५ से ५८ वर्ष बढ़ाने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि यह सही है तो यह निश्चय कब से क्रियान्वित किया जायगा ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : (क) और (ख). नहीं । यह प्रश्न विचाराधीन है किन्तु शीघ्र ही इस संबंध में अन्तिम निर्णय किया जायगा ।

**श्री एन० एस० जैन** : क्या इस विषय पर राज्य सरकारों की सलाह ली गई थी ?

**डा० काटजू** : यह विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सम्बंधित है किन्तु उक्त विचार भी ध्यान में रखा जायगा ।

**श्री दाभी** : मैं वह कारण जानना चाहता हूं जिनसे सरकार प्राप्तवयस्कता उम्र में वद्धि करने के लिये प्रेरित हुई ?

**डा० काटजू** : यह विषय वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और तभी से यह सरकार के विचाराधीन है ।

**श्री वैलायुधन** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी भारत सरकार की सेवा में काम करने वाले प्राप्तवयस्कता-युक्त अधिकारियों की संख्या बतलाने की स्थिति में हैं ?

**डा० काटजू** : मुझे अत्यंत खेद है कि मैं इस समय सही और स्पष्ट सूचना नहीं दे सकता ।

**श्री सिंहासन सिंह** : सरकारी कर्मचारियों के किस विभाग ने उम्र बढ़ाने के लिये प्रतिनिधित्व किया था ?

**डा० काटजू** : मैं नहीं सोचता कि सरकारी कर्मचारियों के किसी विशेष वर्ग द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है । इस विषय पर चर्चा की जा रही है और यह सरकार के विचाराधीन है । कहा जा सकता है कि सरकार ने स्वत: ही इस ओर ध्यान दिया है ।

**श्री सी० डी० पांडे** : मैं जानना चाहता हूं कि अट्ठावन वर्ष तक वय-वृद्धि के निर्णय पर पहुंच जाने की स्थिति में क्या इससे उन अधिकारियों को भी लाभ होगा, जिन्होंने हाल ही में अवकाश प्राप्त किया है अथवा शीघ्र ही अवकाश ग्रहण करने वाले हैं ?

**डा० काटजू** : इस विषय पर भी विचार किया जायेगा । किन्तु जो महानुभाव अवकाश ग्रहण कर चुके हैं उनके सम्बन्ध में मैं अधिक आशावान नहीं हूं । मेरा विचार है उन्हें विश्राम करना चाहिये ।

**श्री एच० एन० मुखर्जी** : माननीय मंत्री जी ने अनेक बार कहा है कि यह विषय विचाराधीन है । क्या हम इस विषय में सरकार के दृष्टिकोण का आभास प्राप्त कर सकते हैं ?

**डा० काटजू** : मैंने आपसे कहा था कि शीघ्र ही निर्णय किया जायगा । आप और क्या जानना चाहते हैं ।

**श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : मैं जानना चाहता हूं कि प्राप्तवयस्कता उम्र की सीमा क्या माननीय मंत्रियों पर भी व्यवहृत होगी ?

**श्री बी० एस० मूर्ति** : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रविधिक तथा अन्य विभागों में नियुक्त टेकनीकल योग्यता वाले व्यक्तियों को भी यथासंभव शीघ्र ही उससे लाभ पहुंचाया जायगा ?

**डा० काटजू** : माननीय सदस्य का संकेत यदि टेकनीकल तथा अन्य कर्मचारियों की ओर है तो अवश्य ही यह नियम उन तक विस्तृत किया जायगा ।

**श्री दामोदर मेनन** : मैं जानना चाहता हूं कि निर्णय पर पहुंचने में सरकार किन तथ्यों से प्रभावित होगी ?

**डा० काटजू** : अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचते समय प्रत्येक सम्भावित पहलू पर विचार किया जायगा ।

**श्री वी० पी० नायर** : वर्तमान में ऐसे उदाहरण हैं कि प्राप्त वयस्क व्यक्तियों का उत्तरदायित्वपूर्ण उच्च स्थानों पर पुन: नियुक्त कर लिया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि वय की सीमा पचपन से अट्ठावन वर्ष तक बढ़ा देने की स्थिति में उच्चपदीय प्राप्तवयस्क व्यक्तियों की उत्तर-दायित्व पूर्ण स्थानों में पुनर्नियुक्ति तो कम से कम रुक जायगी ।

**डा० काटजू** : मुझे खेद है कि मैं विस्तृत चर्चा में नहीं जा सकता । मैं न कई बार दोहरा दिया है कि यह विषय विचाराधीन है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किया जायगा ।

**श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघ इस कार्य के विरुद्ध है ?

**डा० काटजू** : मैं प्रतिदिन समाचारपत्र पढ़ता हूं और मैं यह जानता हूं कि सदन के कुछ सदस्य किसी भी तरह के परिवर्तन के विरुद्ध हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन का अभिप्राय सदन के सदस्यों की ओर नहीं किन्तु केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघ द्वारा किये गये विरोध की ओर है और वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस तथ्य से परिचित है ।

**डा० काटजू** : मुझे समाचारपत्रों से यह मालूम हुआ है ।

**श्री वेंकटारमन्** : क्या सरकार ने देश में फैली हुई बेरोजगारी की सीमा और इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप इस दिशा में होने वाले प्रभाव पर विचार किया है ?

**डा० काटजू** : इस विषय पर भी विचार किया जायगा ।

**श्रीमती सुचेता कृपलानी** : क्या इस विषय को सदन के समक्ष उपस्थित कर उसकी सम्मति ली जायगी ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी भी निष्कर्ष के पूर्व मुझे यह जान लेना चाहिये कि प्रश्न क्या है ? माननीय सदस्यों को भी इस सम्बंध में स्पष्ट होना चाहिये कि वे क्या चाहते हैं । दो बातें हैं । प्रथम है निर्णय कर लेने पर उसे सदन के सामने उपस्थित करना । दूसरे का अर्थ है किसी भी प्रकार के भावी विचार-विमर्श के पूर्व ही सदन का निर्णय प्राप्त करना । माननीय सदस्य का अभिप्राय किस प्रश्न से है ?

**श्रीमती सुचेता कृपलानी** : दूसरे से ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या सदन किसी भी निर्णय के पूर्व इस विषय पर विचार करना पसन्द करेगा ?

**डा० काटजू** : मेरा विश्वास है सदन इस प्रक्रिया को पसन्द नहीं करेगा । इसका उत्तरदायित्व सम्बंधित स्थान अर्थात सरकार पर ही आधारित होना चाहिये ।

**बाबू रामनारायण सिंह** : नहीं, नहीं ।

**श्री एन० एस० जैन** : क्या सरकार को यह विदित है कि केन्द्रीय सरकार की इस आदेशिका से राज्य सरकारें प्रभावित होंगी ?

**डा० काटजू** : मुझे मालूम है ।

**श्री एन० एस० जैन** : अतः क्या सरकार अन्तिम निर्णय पर पहुंचने के पूर्व राज्य सरकारों की इच्छा मालूम करेगी ?

**डा० काटजू** : हम इस पर विचार करेंगे ।

### महाराजा की निजी थैली के लिये केन्द्रीय निधि में काश्मीर द्वारा अनुदाय

*१०२९. **श्री माधव रेड्डी** : राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या काश्मीर सरकार भतपूर्व शासक महाराजा हरिसिंह की निजी थैली के लिये अनुदान देने को सहमत हो गई है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू)** : नहीं ।

**श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या भूतपूर्व महाराजा और वर्तमान राजप्रमुख को भी अलग-अलग निजी थैलियां स्वीकृत की गई हैं ?

**डा० काटजू** : स्थिति यह थी कि जब काश्मीर महाराजा ने भारतीय संघ को अंगीकृत किया तो उन्हें भारत सरकार की ओर से १५ लाख रु० की निजी थैली निश्चित

की गई जिसमें जम्मू और काश्मीर सरकार ६ लाख रु० का अनुदाय देती थी और ९ लाख रु० भारत सरकार की ओर से दिया जाता था। अभी हाल के निर्णय के पश्चात् जिसके अनुसार जम्मू और काश्मीर राज्य में सदरे रियासत की नियुक्ति कर दी गई है राज्य सरकार कोई अनुदाय नहीं देती है और (भारत सरकार ने) महाराजा की निजी थैली ९ लाख से बढ़ाकर १० लाख रु० कर दी है। यह पूरी स्थिति है। और भारत सरकार ने महाराजा को इस निजी थैली की प्रत्याभूति १९४९ में की थी।

**श्री एन० श्री कान्तन नायर** : यह सदरे रियासत क्या है ?

**डा० काटजू** : इसे आप 'राज्यपाल' शब्द का अनुवाद कह सकते हैं।

**श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : सदरे रियासत को क्या मिलता है ?

**डा० काटजू** : मेरा विश्वास है कि उन्हें सीधे राज्य की ओर से राज्यपाल के समान वेतन मिलता है। इन दस लाख रुपयों के विषय में महाराजा, महाराजा की पत्नी (महारानी) और उनके पुत्र अर्थात सदरे रियासत के बीच एक प्रबन्ध है जिसके अनुसार वे इसे एक निश्चित अनुपात में परस्पर बांट लेते हैं।

**श्री दामोदर मेनन** : क्या यह सत्य नहीं है कि अन्य भूतपूर्व शासकों के मामलों में राज्य की सरकारें केन्द्रीय निधि में अनुदाय प्रदान करती हैं ?

**डा० काटजू** : यह सत्य है क्योंकि इन राज्यों के विषय में वित्तीय एकीकरण हो गया है। इस वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप इन्हें संघीय व्यय से बचत के रूप में बड़ी सहायता मिली है उस दशा में राज्य सरकारों को निजी थैली का सर्वांश अथवा कुछ भाग सहना पड़ता है। किन्तु जम्मू और काश्मीर सरकार से अभी तक वित्तीय एकीकरण नहीं हुआ है यह उदाहरण महत्वपूर्ण नहीं है।

**आदिलबाद में खनिज सम्पत्ति का परिमाप**

*१०३०. **श्री माधव रेड्डी** : **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद राज्य के आदिलबाद जिले में खनिज सम्पत्ति का विस्तृत परिमाप किया गया है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : जी हां, श्रीमान्। जिले के व्यवस्थित भूतत्वीय मानचित्र के परिणाम बतलाने वाला विवरण पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है। **[देखो परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५]**

## अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

**मध्य भारत में डाकुओं द्वारा हरिजनों की हत्या**

**श्री कजरोल्कर** : (क) **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा १३ मार्च १९५३ को प्रेषित तथा 'टाइम्स आफ इण्डिया' में १४ मार्च १९५३ को प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित हुआ है जिसके अनुसार मध्य भारत के गृहमंत्री ने १३ मार्च १९५३ को राज्य विधान सभा में कहा था कि गत एक वर्ष में मुरैना और भिंड जिलों (मध्य भारत) में पन्द्रह हरिजनों की डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई और यदि उक्त समाचार सत्य है तो भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(ख) क्या सरकार मध्य भारत सरकार से इन हत्याओं की जांच करने के लिये प्रार्थना कर रही है ?

(ग) क्या सरकार का ध्यान डाकुओं द्वारा मारे गये इन हरिजनों के पीछे बच रहने वाले व्यक्तियों को दी गई अल्प सहायता की ओर आकर्षित हुआ है और यदि ऐसा हुआ है तो क्या सरकार इस दिशा में कोई अनुदाय प्रदान कर रही है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) श्रीमान्, यह विषय मुख्यत: राज्य सरकार से सम्बंधित है किन्तु विशेष अवस्था समझकर मैंने इस सम्बंध में सूचना संग्रहीत की है और मैं उत्तर दे रहा हूं। मैंने यह समाचार देखा है, । मध्य भारत सरकार ने उन गांवों में दंडात्मक पुलिस नियुक्त की है जिनमें डाकुओं द्वारा हरिजनों की हत्या की गई है । इन स्थानों में डाकू-विरोधी कार्य को अधिक सबल कर दिया है । इस समय राज्य सहायक सेना के आठ दल भी इस कार्य में सहायता कर रहे हैं ।

(ख) मध्य भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की है जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में भारी अनुपात में हो रहे अपराधों की जांच करेगी । इस समिति का वृत्तान्त अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) डाकुओं द्वारा मृत एवं आहत हुए हरिजनों के परिवारों को मध्य भारत सरकार तथा उस क्षेत्र से सम्बंधित अशासकीय अभिकरणों द्वारा अनुदान वितरित किया गया है । जिन व्यक्तियों के घर नष्ट कर दिये गये हैं उन्हें अनुदान और ऋण भी दिया गया है । इस तरह की कोई फ़रियाद प्राप्त नहीं हुई है कि इन्हें जो सहायता दी गई थी वह अपर्याप्त है ।

**श्री वैलायुधन :** क्या सरकार ने इस लूटपाट के कारणों की जांच की है ?

**डा० काटजू :** मेरे पास सूचना है । प्रथम कहा जाता है कि यह क्षेत्र अपराधों के लिये कुख्यात है । द्वितीय, ये घटनाऐं हरिजनों और राजपूतों के वैमनस्य के कारण होती हैं । जैसा कि सदन को मालूम है राजपूत स्वयं को एक उच्च वर्गीय जाति समझते हैं और वे हरिजनों द्वारा कतिपय सुविधाओं के उपभोग के विरुद्ध हैं । उन में परस्पर शत्रुता का प्रादुर्भाव हुआ जिसका परिणाम ये दुर्घटनाएं हैं ।

**श्री वैलायुधन** उठे—

**श्री बालकृष्णन् :** मैं जानना चाहता हूं कि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रत्येक परिवार को कितनी रक़म दी गई थी ?

**डा० काटजू :** पहावली की एक घटना में जिसमें ६ व्यक्ति घायल हुए थे प्रत्येक परिवार को १०० रु० दिया गया तथा घर बनवाने के लिये २००० रु० दिया गया । इसके अतिरिक्त सहकारी संस्था की ओर से १८०० रु० का ऋण दिया गया । एक दूसरी घटना में जिसमें एक लड़का तथा अन्य व्यक्ति मारे गये थे कुल ३०० रु० दिया गया । इस मामले में अधिक सहायता प्राप्ति के लिये एक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है जिस पर अभी विचार किया जा रहा है ।

**श्री बर्मन :** मैं जानना चाहता हूं कि उक्त स्थान पर हरिजन कौन सी सुविधाएं चाहते थे जिनका राजपूतों ने विरोध किया और फलस्वरूप ये दुर्घटनाएँ हुईं ।

**डा० काटजू :** मैं केवल वृत्तान्त पढ़ रहा हूं । एक स्थान पर यह कहा गया है कि एक ग्राम पंचायत के चुनाव में एक चमार ने उपाध्यक्ष पद के लिये किसी राजपूत को हराकर विजय प्राप्त की । इसी से झगड़ा प्रारम्भ हो गया और गोली चलाने तथा मारने की नौबत पैदा हो गई । हरिजनों ने अभियोगी पक्ष की ओर से गवाही दी किन्तु फिरंगी मुक्त कर दिया गया ।

इसके पश्चात् वह और उसका भाई लखनसिंह जो स्वयं भी एक कुख्यात डाकू है अपने साथियों सहित गांव में घुस आये । चमार अन्य व्यक्तियों के साथ वहां बैठा था । फिरंगी ने कहा कि तुम हमारे विरुद्ध गवाही देते हो । उसने उनको बांध कर गोली मार दी । इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं ।

**श्री राधेलाल व्यास** : क्या बारात में मारे गये हरिजनों की पुलिस ने रक्षा की थी और क्या डाकुओं द्वारा पुलिस के सिपाही भी मारे गये थे ?

**डा० काटजू** : मेरे माननीय मित्र उस नवीनतम घटना की ओर संकेत कर रहे हैं जिसके विषय में कुछ मिथ्या भ्रम उत्पन्न हो गया है । अभी हाल में एक समाचार था कि १३ हरिजन मारे गये हैं । वस्तुतः मृत व्यक्तियों में ४ ब्राह्मण, ३ ठाकुर, १ काछी और दो सिपाही भी थे । यह सब एक कुख्यात डाकू लखनसिंह का काम है जो अभी तक गिरफ्तारी से बचता रहा है । उक्त व्यक्ति बारात में जा रहे थे । जब कि रात्रि को दस बजे वे सब सो रहे थे, डाकू तथा उसके साथियों ने नृशंसतापूर्वक उनकी हत्या कर डाली । अनुमान किया जाता है कि जिन व्यक्तियों ने इनकी रक्षा की थी उनमें ३ पुलिस के सिपाही, ३ ठाकुर और एक काछी थे । समाचारपत्रों ने प्रकाशित कर दिया कि यह सब हरिजन थे । इसीलिये मेरे माननीय मित्र इतने अधिक उद्विग्न हो गये हैं ।

**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : मैं जानना चाहता हूं कि इन हरिजनों की मृत्यु के सम्बंध में क्या किसी गैर हरिजन की गिरफ्तारी की गई है ?

**डा० काटजू** : बहुत सी गिरफ्तारियां हुई होंगी किन्तु मैं स्पष्ट सूचना नहीं दे सकता हूं । ये घटनाएं विगत बारह महीनों के भीतर हुई हैं और मैं आपसे कह दूं कि यह अत्यंत उपद्रवग्रस्त क्षेत्र है । तीन अथवा चार राज्य यहां मिलते हैं । डाकू एक स्थान पर अपराध करने के बाद उत्तर प्रदेश, विंध्य प्रदेश और मध्य भारत आदि किसी भी दूसरे राज्य में भाग सकता है । अब सब राज्य आपस में मिलकर इन डाकुओं से छुटकारा पाने की योजना बना रहे हैं ।

**श्री राधेलाल व्यास** : क्या मृत राजपूतों की हरिजनों से सहानुभूति थी और क्या वे इसी सहानुभूति के कारण मारे गये ?

**डा० काटजू** : यह ठीक है । माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि आवश्यक सूचना देने में मैं अपने पथ से दूर चला गया । वस्तुतः इसका सम्बंध राज्य सरकार से है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं ने इस प्रश्न को पूछने की स्वीकृति इसलिये दे दी थी कि इसका सम्बंध हरिजनों से है ।

**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या केन्द्रीय सरकार ने इस आशय के आदेश दिये हैं कि इन हरिजनों को विशेष सुविधाएँ दी जायं ?

**डा० काटजू** : केन्द्रीय सरकार इस दृष्टि से संतुष्ट है कि राज्य सरकार अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूर्ण सजग है और माननीय सदस्यों को स्मरण होना चाहिये कि उन्होंने वास्तव में पुलिस के २००० सिपाही इस कार्य के लिये निश्चित कर दिये हैं । कानून और व्यवस्था की स्थापना के लिये आठ पुलिस दल वहां नियत हैं । दो लाख ३० हजार रुपये के खर्चे पर वहां दंडात्मक पुलिस भी काम कर रही है । यह रुपया गांव वाले देंगे और इसमें से दो लाख रुपया वसूल हो चुका है ।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की अनुसन्धान योजनायें

*१०३४. **डा० अमीन :** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रारम्भ से अभी तक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा कितने अनुसंधानों की स्वीकृति दी जा चुकी है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि खड़गपुर की टेकनीकल विज्ञान की भारतीय संस्था के वर्तमान संचालक डा० जे० सी० घोष को अनुसंधान योजनाओं के लिये समय समय पर अनुदान दिये गये हैं और यदि यह ठीक है तो परिषद् के प्रारम्भ से अभी तक दिये गये अनुदानों की कुल निधि कितनी है ?

(ग) स्वीकृत की गई योजनाओं में से कितनी योजनाओं पर डा० जे० सी० घोष ने पूर्ण प्रतिवेदन उपस्थित कर दिये हैं ?

(घ) इन अनुदानों के प्रतिस्वरूप जो कार्य किया गया है उसके परिणाम के सम्बंध में कितने पत्र प्रकाशित किये जा चुके हैं और उनके विषय क्या है ?

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) ३१७।

(ख) डा० जे० सी० घोष और उनके सहयोगी कार्यकर्त्ताओं को १९४० और १९५१ की अवधि में ५,२६,६३९ रु० की निधि का अनुदान दिया गया था।

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से समस्त योजनाओं पर पूर्ण प्रतिवेदन मिल चुके हैं।

(घ) अपेक्षित सूचना के सम्बंध में सदन पटल पर एक विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६]

### त्रिपुरा की सहकारी संस्थायें

*१०४३. **श्री दशरथ देव :** (क) **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा राज्य में आजकल कितनी सहकारी सभायें कार्य कर रही हैं ?

(ख) वे कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं ?

(ग) इन सभाओं की सदस्य संख्या कुल कितनी है ?

(घ) सरकार इन सभाओं को क्या सुविधायें देती है ?

(ङ) क्या सरकार आदि जातियों और विस्थापित व्यक्तियों में सहकारिता आन्दोलन की प्रगति के लिये विशेष ध्यान देने पर विचार कर रही है ?

**गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :** (क) ११ (ग्यारह)।

(ख) (i) कृषि सम्बन्धी—३

(ii) बुनाई (गृह उद्योग)—४

(iii) कन्ज्यूमर्स स्टोर्स (उपभोक्ता मण्डल)—१

(iv) धीवर कार्य (मछली पकड़ने के सम्बन्ध में)—१

(v) चावल और तैल मिल (उद्योग)—१

(vi) कृषिपणन—१।

(ग) १२०५।

(घ) भूमि अनुदान, ऋण आदि के रूप में ११ में ४ सभाओं को सहायता दी गई है।

(ङ) हां।

**त्रिपुरा में समाचार पत्र**

*१०४४. **श्री दशरथ देव:** (क) **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में कितने समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं ?

(ख) सरकार किस प्रकार उनसे सम्पर्क स्थिर रखती है ?

(ग) सरकारी नीतियां और योजनाओं की व्याख्या करने के लिये मुख्य आयुक्त, मुख्य सचिव और सामुदायिक योजना पदाधिकारी कितनी बार प्रेस सम्मेलन आमंत्रित करते हैं ?

**गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):** (क) त्रिपुरा में सात समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं ।

(ख) और (ग). स्थानीय समाचार-पत्रों के सम्पादकों को मुख्य आयुक्त और उनके अधिकारियों से भेंट के लिये अनक अवसरों पर आमंत्रित किया जाता है ।

**दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

७५४. **श्री एम० एल० द्विवेदी: वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र ही कार्यवाही करने और यह देखने के लिये कि सम्बन्धित मंत्रालय प्रत्येक मामले में सार्वजनिक लेखा समिति (क्रम संख्या ९, पृष्ठ ३२२ प्रथम वृत्तान्त, १९५१-५२) की सिफ़ारिश के अनुसार उचित समय में क़दम उठाते हैं क्या किया गया है ;

(ख) अभी तक कितने मामलों में कार्यवाही की गई है तथा उन मामलों का प्रतिशत जिन पर कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ;

(ग) जांच के दौरान में अथवा अन्यत्र मंत्रालयों को जो त्रुटियां दृष्टिगत हुई हैं उनका सुधार करने के लिये व्यवस्था की गई है अथवा नहीं; और

(घ) यदि इस दिशा में कुछ किया गया है तो उसका स्वरूप क्या है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** (क) इस कार्य के लिये आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं कि दोषी अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र ही कार्यवाही की जाय । इन आदेशों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है । [**देखो परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ७**]

(ख) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और पूरी होते ही सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

**प्रशासन लेखा परीक्षा**

७५५. **श्री एम० एल० द्विवेदी: वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किसी मंत्रालय में लोक लेखा समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार—देखो क्रम संख्या १२, पृष्ठ ३२३, प्रथम वृत्तान्त—प्रशासन लेखा परीक्षा प्रारम्भ की गई है ;

(ख) यदि ऐसा किया गया है तो किन मंत्रालयों में ;

(ग) 'वर्तमान त्रुटिपूर्ण व्यवस्था' की परीक्षा करने के लिये मंत्रालय ने कोई क़दम उठाये हैं ;

(घ) इस व्यवस्था को प्रारम्भ करने और उसके निर्वाह में कितने अतिरिक्त व्यय की सम्भावना है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख):** (क) और (ख). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के समान ही प्रशासन परीक्षा लेखा व्यवस्था प्रारम्भ करने पर सक्रिय विचार किया जा रहा है ।

(ग) आयव्ययक अनुबन्ध को रूढ़िवादी आधार पर नियंत्रित करने का अनवरत प्रयत्न किया जा रहा है और स्वीकृत व्यय को भी सीमित किया जा रहा है।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रशासन परीक्षा लेखा व्यवस्था प्रारम्भ करने में अतिरिक्त व्यय अभी मालूम किया जा रहा है लेकिन यह राशि अनुमानतः १० लाख रुपये होगी ।

**ऋण स्वरूप प्राप्त वायुयान इंजीनियर**

७५६. **श्री नानादास :** रक्षा मंत्री १३ मार्च १९५३ को वायुयान-इंजीनियरों के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट बंगलौर लिमिटेड में नियुक्त किये गये विदेशी विशेषज्ञों में से प्रत्येक के मासिक वेतन और भत्ते क्या हैं और

(ख) इसी उद्योग में काम करने वाले भारतीय इंजीनियरों और विशेषज्ञों के वेतन और भत्ते क्या है ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) और (ख) विवरण पत्र मैं ने सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया है।

**अनुसूचित जाति की शिक्षा**

७५७. **श्री नानादास : गृह-कार्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अनुसूचित जाति के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो ४ करोड़ की राशि निश्चित की गई है उसमें से अभी तक उक्त जाति की शिक्षा हेतु कितनी रक़म खर्च की गई है ; और

(ख) आगामी तीन वर्षों में अनुसूचित जाति की शिक्षा के लिये कितना रुपया खर्च किया जायेगा ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख) माननीय सदस्य कदाचित ४ करोड़ रु० की उस निधि की ओर निदश कर रहे हैं जो पंजवर्षीय योजना के अंतर्गत पिछड़ी जाति के लोगों को सुधारने के लिये निश्चित की गई है । यदि यही बात है तो ४ करोड़ रुपये में से एक करोड़ रुपया १९५३-५४ के आयव्ययक अनुमान में सम्मिलित कर लिया गया है । इसमें से ५० लाख रुपया, अनुसूचित जाति पर खर्च किया जायगा । तीस लाख रुपया भूतपूर्व अपराधी जातियों और २० लाख रुपया अन्य पिछड़ी जातियों पर खर्च किया जायगा । पचास लाख रुपये की प्रस्तुत राशि खर्च करने की विधि के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

**गृह निर्माण पर गोष्ठी**

७५८. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यूनेस्को के तत्वावधान में गृह निर्माण पर जो गोष्ठी आयोजित की गई थी उसमें राष्ट्रीय उद्योग संस्था के अध्यक्ष ने यह शिफ़ारिश की थी कि गृह निर्माण में अनुसन्धान कार्य को सहयोग देने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय समितियों का निर्माण किया जाय—क्या सरकार ने इस प्रकार के निकाय स्थापित करने का निश्चय कर लिया है ?

(ख) इस गोष्ठी के परिणामस्वरूप बांध योजनाओं पर काम करने वाले इंजीनियरों को क्या लाभ अथवा ज्ञान प्राप्त हुआ ?

(ग) क्या गोष्ठी ने किसी प्रकार के परिणाम अथवा सिफ़ारिशें प्रस्तुत की हैं ;

(घ) इस गोष्ठी में कितने देशों ने भाग लिया था ?

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में कितना रुपया व्यय किया है ।

**प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय):** (क), (ग) और (च) गोष्ठी के वाद-विवाद पर आधारित राष्ट्रीय विज्ञान संस्था की सिफ़ारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) गोष्ठी ने इंजीनियरों के लिये पाठस्मारक अनुक्रम का कार्य किया । बैठक में शिल्पकार और अन्य व्यक्ति एकत्रित हुये थे और विचार-विमर्श से यह मालूम हुआ कि इस देश में इंजीनियरों को जिन कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ रहा है वे परस्पर विचार विनिमय से आसानी पूर्वक हल की जा सकती है ?

(घ) गोष्ठी में निम्नलिखित ने भाग लिया :—

(i) भारत, ब्रह्मा, श्रीलंका और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि;

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन और प्रविधिक सहायता बोर्ड—अन्तर्राष्ट्रीय समितियों के प्रतिनिधि;

(iii) इंगलैंड, इज़राइल और इण्डोनेशिया के सलाहकार ;

(ङ) गोष्ठी का आयोजन करने के लिये सरकार ने राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था को १०,००० रुपये के विशेष अनुदानों की स्वीकृति दी थी ।

**राजस्थान में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास**

**७५९. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राजस्थान सरकार को पुनर्वास कार्य के लिये कुछ रक़म स्वीकृत की है ?

(ख) यदि उक्त तथ्य सही है तो स्वीकृत रक़म कितनी है । इसका प्रयोजन क्या है तथा उसे खर्च करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

(ग) इस रक़म का कितना प्रतिशत विस्थापितों को ऋण के रूप में दिया जायगा और ऋण की शर्तें क्या हैं ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन):** (क) और (ख). वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्थान सरकार को ३०·६५ लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। राज्य सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये निम्न बातों पर रुपया खर्च किया है :—

(i) स्थापना प्रभार

(ii) विस्थापित व्यक्तियों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण

(iii) विस्थापित व्यक्तियों की शिक्षा

(iv) गृह निर्माण और नागरिक व्यवसायों के लिये विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

(ग) लगभग ७८ प्रतिशत ।

२०·०० लाख रुपये का ऋण गृह-निर्माण के लिये और ४·०० लाख रुपये का ऋण नागरिक व्यवसायों के लिये । गृह-निर्माण हेतु ऋण का ब्याज सवा चार प्रतिशत है और इसे २० वर्ष में चुकाना है । नागरिक व्यवसाय के सम्बन्ध में दिये गये ऋण के ब्याज की दर ३ ५/८ प्रतिशत है और ६ वर्षों में इसे चुका देना है । प्रथम तीन वर्षों के लिये ऋण की अदायगी नहीं है । नागरिक व्यवसाय के ऋण में प्रथम वर्ष के लिये ब्याज वसूल नहीं किया जायगा ।

**रक्षा सेवा कर्मचारीवृन्द की निवास दशायें**

७६०. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रक्षा सेवा कर्मचारियों की निवास दशाओं में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ;

(ख) १९५२-५३ में तीनों सेवाओं में कल्याण योजनाओं और अन्य सुविधाओं के लिये व्यय की गई निधि ;

(ग) उन समितियों के नाम जो इन निधियों का प्रशासन करती हैं ;

(घ) क्या विभिन्न इकाइयों में काम करने वाले प्रत्येक सिपाही को ईकाई के कल्याण से सम्बन्धित मामलों और निधि की योजना, प्रशासन और उपयोगिता के विषय में प्रतिनिधित्व दिया जाता है ; और

(ङ) यदि प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो वह अधिकारियों द्वारा नामज़दगी के आधार पर अथवा सिपाहियों द्वारा निर्वाचन पर निर्भर है ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) रक्षा सेवा के कर्मचारियों की निवास दशाओं में सुधार करने के निम्न कार्यवाही की गई है :—

**सेना—**

(i) विवाहित हवलदारों और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को उपयुक्त रसोईघर सहति दो कमरों वाला क्वार्टर दिया जाता है इसके पूर्व उन्हें बिना रसोईघर के एक कमरे वाला क्वार्टर दिया जाता था ।

(ii) विवाहित जे० सी० ओ० को जिन्हें पहले दो कमरों वाला क्वार्टर दिया जाता था अब तीन कमरों वाला क्वार्टर दिया जाता है ;

(iii) जे० सी० ओ० को फ़र्नीचर नहीं दिया जाता था और हवलदारों तथा अन्य श्रेणी के अधिकारियों के लिये भोजन के कमरों की व्यवस्था नहीं थी। अब आवश्यक कार्यों के लिये फ़र्नीचर के नवीन स्तर निर्धारित किये गये हैं ;

(iv) १९४८ के पूर्व मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के सेवा पदाधिकारियों को उन्हीं केन्द्रों पर फ़र्नीचर दिया जाता था जहां कि वे किराये से नहीं मिल सकता था अथवा महंगा पड़ता था । सरकार ने अब समस्त सैनिक केन्द्रों पर फ़र्नीचर देने का उत्तरदायित्व ले लिया है और इस कार्य के लिये नवीन स्तर निश्चित किये गये हैं ;

(v) समस्त केन्द्रों के सब श्रेणियों के सेवा कर्मचारियों के लिये बिजली के प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई है । जे० सी० ओ०, हवलदारों तथा दूसरी श्रेणियों को बैरकों में तथा अंग्रेज़ी सेना द्वारा रिक्त की गई समस्त इमारतों में लगे हुये बिजली के पंखों का निःशुल्क उपयोग करने का अधिकार दे दिया गया है । इस प्रकार के पंखों की देखभाल तथा नये पंखे बदलने का उत्तरदायित्व मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस पर होगा ।

**नौ सेना—**

नौ सेना की आवश्यकता के अनुसार जल में तथा किनारों पर उनके निवास की दशा में सुधार करने का अनवरत प्रयत्न किया जा रहा है । जहाज़ों पर आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करने में बहुत स्थान घिर जाता है और रहने के लिये साधारण स्थान बच पाता है ।

**वायु सेना—**

सरकार भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों को जहां तक सम्भव है निवास की व्यवस्था कर रही है । मनोरंजन की व्यवस्था

और कल्याणकारी सुविधायें भी दी जा रही हैं ।

(ख) **सेना**—

प्रत्येक वर्ष की निधि भिन्न भिन्न है । निम्नलिखित रक़म से १९५२-५३ में कल्याण योजनाओं पर किये गये खर्च का अनुमान मिल सकता है—

(i) रक्षा सेना अनुमान का सुविधा अनुदान—१०,५०,००० रु० ।

(ii) सेना केन्द्रीय कल्याण निधि—१,००,००० रु० ।

(iii) ध्वज दिवस निधि—२,६८,००० रु० ।

(iv) केन्टीन से लाभ—३,५७,५०० रु० ।

**नौ सेना**—२४,११७ रुपये ९ आ० ६ पाई०

**वायु सेना**—५६,००० रुपये ।

(ग) **सेना**—

(i) सुविधा अनुदान—सेना प्रधान कार्यालय, प्रधान कार्यालय कमाण्ड्स । पदाधिकारी कमाण्डिंग यूनिट्स

(ii) सेना केन्द्रीय कल्याण निधि—कमाण्ड प्रधान कार्यालय और पदाधिकारी कमाण्डिंग यूनिट्स के द्वारा सेना प्रधान कार्यालय की कार्य समिति ।

(iii) ध्वज दिवस निधि—सेना प्रधान कार्यालय ; प्रधान कार्यालय कमाण्ड्स । भरती करने वाले पदाधिकारी ।

(iv) केन्टीन से लाभ—सेना प्रधान कार्यालय और प्रधान कार्यालय कमाण्ड्स ।

**नौ सेना**: जहाज़ों और स्थापनाकार्य के कमाडिंग पदाधिकारी ।

**वायुसेना**: कल्याण समितियों की सहायता प्राप्त कमांडिंग यनिट्स के पदाधिकारी ।

(घ) जी हां ।

(ङ) सेना में कल्याण सम्बन्धी विषयों की योजना और उन्हें क्रियान्वित करने का काम स्वयं टुकड़ियों पर है । इकाइयों के दरबार में सब श्रेणियों की सलाह ली जाती है । ये दरबार सैनिक जीवन के नियमित लक्षण हैं इनम समस्त श्रेणी के अधिकारी सुझाव प्रस्तुत करने और किसी भी विषय का प्रतिनिधित्व करने के लिये स्वतन्त्र हैं । अन्य दो सेवाओं में प्रतिनिधित्व निर्वाचन द्वारा दिया जाता है ।

### चमार रेजीमेंट

**७६१. श्री गणपति राम: रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय रक्षा सेना में एक चमार रेजीमेंट थी ;

(ख) यदि उक्त तथ्य सही है तो इस रेजीमेंट में भरती किये गये सैनिकों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि उक्त रेजीमेंट भंग कर दी गई है ;

(घ) यदि ऐसा किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार समस्त सेनाओं में अनुसूचित जातियों और आदिवासियों में से निश्चित प्रतिशत भरती करने का विचार कर रही है ?

**रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) जी हां ।

(ख) जे० सी० ओ०—२० ।
अन्य श्रेणियां—९१९ ।
न लड़ने वाले (भरती शुदा)—४२ ।

(ग) जी हां ।

(घ) द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् साधारण विचलन के समय इसे भंग कर दिया गया था ।

(ङ) नहीं । भारत सरकार की नीति व्यक्तियों अथवा वर्गों में भेद करना नहीं है । प्रत्येक के साथ समान व्यवहार किया जाता है ।

**पौंड पावना**

७६२. **श्री एच० एन० मुखर्जी : वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १४ अगस्त, १९४७ को भारत को मिलने वाले पौंड पावने की रक़म तथा इस तिथि से अभी तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में मिलने वाली निधि ;

(ख) पौंड पावने के स्थान पर उपभोग की जाने वाली मुख्य वस्तुयें ;

(ग) क्या यह उपभोग केवल इंगलैंड में ही किया गया है ; और

(घ) क्या भारत पर ऐसा कोई दायित्व रहा है अथवा है कि वह पावने को इंगलैंड में ही खर्च करे ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :** १४ अगस्त १९४७ को भारत के पौंड पावने की रक़म १५४७ करोड़ रुपये थी । बाद के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

| | करोड़ रु० |
|---|---|
| १९४७-४८ के अन्त में | १५२७ |
| १९४८-४९ के अन्त में | ९४४ |
| १९४९-५० के अन्त में | ८५७ |
| १९५०-५१ के अन्त में | ८८४ |
| १९५१-५२ के अन्त में | ७२३ |
| २७ फ़रवरी, १९५३ | ७२० |
| १३ मार्च, १९५३ | ७२५ |

(ख) १४ अगस्त, १९४७ से १३ मार्च, १९५३ तक पौंड पावने में ८२२ करोड़ पये कमी होने के साथ २१० करोड़ रुपये पाकिस्तान में परावर्तित कर दिये गये ; पौंड कार्य निवृत्ति दायित्व को पूरा करने के लिये वार्षिकी खरीदने में ब्रिटेन की सरकार को २९६ करोड़ रुपये दिये गये । इसमें रक्षा भंडार का क्रम भी सम्मिलित है । चालू और पूंजी लेखा के घाटे को पूरा करने के लिये इस अन्तर का उपयोग कर लिया गया ।

(ग) और (घ). नहीं, श्रीमान् ।

**गणतंत्र दिवस समारोह पर व्यय**

७६३. **श्री केलप्पना : रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २९५३ में दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कुल कितना रुपया खर्च किया था ?

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** लगभग १,१५,००० रुपये ।

**चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में दावे**

७६४. **श्री गिडवानी :** (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयुक्त के पास चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में भेजे गये दावों के हल की क्या स्थिति है ?

(ख) कितने दावे किये गये थे ?

(ग) इन दावों का मूल्य कितना है ?

(घ) क्या कोई सम्पत्ति प्राप्त की गई है ?

(ङ) क्या कुछ भुगतान किया गया है और इस भुगतान का दावों से कितना अनुपात है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: (क) से (ङ) : विवरण पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है। [**देखो परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ९**]

**सोधपुर में कांच का कारखाना**

७६५. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सोधपुर के कांच के कारखाने को दिये गये ऋण पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ है ;

(ख) पेशगी दिये गये ऋण के सम्बन्ध में ३१ जनवरी १९५३ तक कितने अशांश प्राप्त हुये हैं और यह रक़म कुल कितनी है ?

(ग) सोधपुर के कांच के कारखाने की सम्प्रमाणित, जारी की गई और अनुदानित पूंजी कितनी है ; और

(घ) १९४६ से १९५२ तक कुल कितना उत्पादन और विक्रय हुआ है और कम्पनी ने कितना लाभविभाग दिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: ३० दिसम्बर, १९५० तक कम्पनी से १,७२,७६७ रु० १२ आ० ६ पा० की रक़म ब्याज स्वरूप प्राप्त की गई थी। ५,४१,२३२ रु० ३ आ० ६ पा० अनुगामी भुगतान की राशि बक़ाया है।

(ख) एक लाख रुपये की रक़म का प्रथम अंशांश जो कि १३ सितम्बर १९५२ को देना था कम्पनी ने अभी नहीं दिया है दूसरे अंशांश अभी बक़ाया नहीं हुये हैं।

(ग) कम्पनी की सम्प्रमाणित जारी की गई और अनुदानित पूंजी क्रमशः ५० लाख रु०, ३० लाख रु० और २९,१०,५०० रुपये है।

(घ) सोधपुर कारखाने के उत्पादन और विक्रय तथा उसके द्वारा दिये गये लाभविभाग निम्न प्रकार हैं :—

| वर्ष | वर्ष में उत्पादन के आंकड़े | वर्ष में बिक्री के आंकड़े | लाभविभाग दिया गया | |
|---|---|---|---|---|
| १९४६ | * | * | ५% | कुछ नहीं |
| १९४७ | २२,५६,९२१ वर्ग फीट | १८,५०,२१२ वर्ग फीट | ५% | ८% |
| १९४८ | २१,४४,०९९ ,, ,, | २१,२७,०४५ ,, ,, | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| १९४९ | ४,२२,०८१ ,, ,, | ७,९१,८४९ ,, ,, | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| १९५० | ७,५७,०४१ ,, ,, | ७,१८,५२५ ,, ,, | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| १९५१ | १७,६०,४६० ,, ,, | १८,०५,१९४ ,, ,, | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| १९५२ | कुछ नहीं | (जून, १९५१ से कारखाना बन्द होगया) | | |

*सन् १९४६ की उत्पादन और बिक्री के सम्बन्ध में वर्ग फीट के रूप में आंकड़े प्राप्य नहीं हैं।

दिल्ली सार्वजनिक वाचनालय

७६६. श्री मादिया गौडा : शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली सर्वजनिक पुस्तकालय का एक उद्देश्य पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षण देना भी है; और

(ख) यदि उक्त तथ्य सही है तो कहां तक इस उद्देश्य की पूर्ति हुई है ?

शिक्षा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) यह प्रश्न उद्भव नहीं होता है ।

राष्ट्रमण्डल सम्पर्क कार्यालय को दी जाने वाली निधि

७६७. श्री के० सी० सोधिया : (क) वित्त मंत्री ब्रिटेन के राष्ट्रमण्डल सम्पर्क कार्यालय को १९५२-५३ में दी गई निधि बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) यह निधि किस कार्य के लिये दी गई थी ?

(ग) १९५३-५४ में कितनी निधि देने का विचार है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) ९०,००० पौंड ।

(ख) अपेक्षित सूचना सहित एक विवरण पत्र सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है । [देखो परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १०]

(ग) १९५३-५४ में इस कार्य के लिये ७६,५०० पौंड का एक आयव्ययक उपबन्ध निश्चित कर दिया गया है ।

विस्थापित हरिजन

७६८. श्री नानादास : पुनर्वास मंत्री १३ मार्च, १९५३ को पाकिस्तान से जैसलमेर आने वाले विस्थापित हरिजन और गंगानगर में पुनर्स्थापित होने वाले विस्थापितों के विषय में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७३६ का उत्तर देने की कृपा करेंगे और बतालयेंगे कि :

(क) वर्तमान भारत में विस्थापित हरिजनों की क्या संख्या है ;

(ख) उन्हें खेती योग्य नम और शुष्क जमीन अलग अलग कितनी दी गई है ; और

(ग) देश के विभाजन के पश्चात् अभी तक विस्थापित हरिजनों की पुनर्वास व्यवस्था में कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग) . इस सम्बन्ध में सूचना संग्रहीत की जा रही है और उपयुक्त समय में सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

शुक्रवार,
२७ मार्च, १९५३

सत्यमेव जयते

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

तीसरा सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13·3·12
Fumigated
On ...
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

# संसदीय वाद विवाद

**(भाग २—प्रश्न और उत्तर से इतर कार्यवाही)**

**शासकीय वृत्तान्त**




## लोक सभा

शुक्रवार, २७ मार्च, १९५३

---

सदन की बैठक २ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर असीन थे]

## प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

---

३-८ म० प०

## अनुपस्थित रहने की अनुमति

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे पास शिव नारायण सिंह महापात्र का पत्र आया है। रोगी होने के कारण वे सदन की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सके हैं। वे इस सत्र के अन्त तक सदन में अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहते हैं।

क्या उन्हें अनुमति दी जाए ?

**माननीय सदस्य** : जी हां।

अनुमति दी गई।

**डा० नटवर पांडे** (सम्बलपुर) : एक औचित्य प्रश्न है। ६० दिन अनुपस्थित रहने के पश्चात् श्री महापात्र ने यह पत्र भेजा है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है। क्या सदन चाहता है कि इस अवधि के बाद पत्र आने पर भी उन्हें अनुमति दी जाए ?

**माननीय सदस्य** : जी हां।





**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे यह मालूम न था नहीं तो मैं उसे भी पहले कह देता।

---

## पटल पर रखे गए पत्र

### हीराकुड बांध योजना के लिए खरीदे गए स्लीपरों के संबंध में रिपोर्ट

**योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : हीराकुंड बांध योजना के लिए पंजाब से खरीदे गए स्लीपरों के सम्बन्ध की रिपोर्ट की एक प्रति मैं सदन के पटल पर रखता हूं। १८ नवम्बर १९५२ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ४०४ के उत्तर में इसकी चर्चा की गई थी। [**पुस्तकालय में रखी है। देखिये संख्या ४ एम० ४ (३५)**]

---

## अनुदानों की मांगें

**उपाध्यक्ष महोदय** : योजना, सिंचाई तथा विद्युत् से सम्बन्धित मांगों पर सदन में चर्चा होगी।

मांग संख्या ६१, ६२, ६३, ६४, १२९ और १३० प्रस्तावित की गई हैं।

योजना की अलग मांग नहीं है। वह मांग संख्या ३८ में मिली है। मैं उसे भी सदन के समक्ष रखूंगा जिससे कि योजना पर सदस्य विवाद कर सकें। परन्तु यह मांग अन्य मांगों के साथ मत विभाजन के लिये प्रस्तुत की जाएगी। मैं अब इन मांगों को औपचारिक रूप से सदन के समक्ष रखूंगा।

मांग संख्या ३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय—१,८३,८१,००० रुपये।

मांग संख्या ६१—सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय—७,२८,००० रुपए ।

मांग संख्या ६२—सिंचाई (निर्माण-व्यय मिला कर), नौपरिवहन, बांध और जलोत्सारण कर्म (राजस्व से प्राप्त)—१८,००० रुपये ।

मांग संख्या ६३—बहुमुखी नदी योजनाएं —४१,७८,००० रुपए ।

मांग संख्या ६४—सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय—३७,१२,००० रुपए ।

मांग संख्या १२९—बहुमुखी नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय—३,४८,१९,००० रुपए ।

मांग संख्या १३०—सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय के अन्य पूंजी व्यय—४,७६,७४,००० रुपए ।

**ठेकेदारी में कुशासन तथा त्रुटियां**

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** (कुष्टगी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाये।"

**योजना प्रशासन का कर्मकरण तथा जिस प्रकार से योजनाएं बनाई गई तथा निष्पादित की गई।**

**श्री मेघनाद साहा** (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**बहुमखी नदी घाटी योजनाओं में विदेशियों का सेवायोजन**

**श्री आर० एन० एस० देव** (कालाहांडी—बोलनगिर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**स्थायीरूप से दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्रों में, विशेष रूप से शोलापुर और महाराष्ट्र के अन्य जिलों म लघुसिंचाई कर्मों के आरम्भ करने की आवश्यकता**

**श्री पी० एन० राजभोज** (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'सिंचाई (निर्माण व्यय मिला कर), बांध, नौ परिवहन और जलोत्सारण कर्म (राजस्व से प्राप्त)' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**बहुमुखी नदी योजनाओं के निष्पादन में अपव्यय तथा भ्रष्टाचार**

**श्री टी० के० चौधरी** (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'बहुमुखी नदी योजनाओं' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**कोसी नदी की गांडीकोटा और नंदीकोटा योजनाओं की जांच**

**श्री सी० आर० चौधरी** (नरसरावपेट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'बहुमुखी नदी योजनाओं' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**बीजापुर, बेलगांव, शोलापुर, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य अभाव वाले तथा दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई करने के लिए घाटप्रभा योजना तथा कोयना योजना को पूर्ण विकसित करने में शीघ्रता की आवश्यकता**

**श्री पी० एन० राजभोज** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'बहुमुखी नदी योजनाओं' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**बहुमुखी नदी योजनाओं में कम प्रगति**

**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'बहुमुखी नदी योजनाओं' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**विभिन्न बहुमुखी नदी योजनाओं के कामों का प्रशासन**

**श्री मेघनाद साहा** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'बहुमुखी नदी योजनाओं' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**इन योजनाओं में विदेशी विशेषज्ञों, का अधिक सवायोजन तथा विदेशियों की वृद्धि**

**श्री मेघनाद साहा** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'बहुमुखी नदी योजनाओं' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**बहुमुखी योजनाओं की अकुशल तथा अघाधुंध योजना तथा उनके कर्मकरण में अपव्यय, भ्रष्टाचार और पक्षपात**

**श्री यू० सी० पटनायक** (घुमसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'बहुमुखी नदी योजनाओं' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में बन्धु पक्षपाती तथा पक्षपात**

**श्री आर० एन० एस० देव** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'बहुमुखी नदी योजनाओं सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**हीराकुड योजना में भ्रष्टाचार, बन्धु-पक्षपाती, वैत्तिक अनियमिताएं, विलम्ब अपव्यय तथा उसकी समन्वय रहित योजना**

**श्री आर० एन० एस० देव** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'बहुमुखी नदी योजनाओं' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**मितव्यय**

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**जिन नदी योजनाओं पर काम हो रहा है उन पर व्यय का बढ़ना**

**श्री मेघनाद साहा** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'बहुमुखी नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**मोहनूर से कावेरी नदी का पानी सिंचाई के लिये दूसरी दिशा में ले जाने के लिए नई नहर का निर्माण**

**श्री बूवराघसामी** (पैराम्बलूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'बहुमुखी नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**बिजली के संभरण का विस्तार**

**श्री बुवराघसामी** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय की अन्य पूंजी व्यय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपए की कटौती की जाए।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सदन के समक्ष सब मांगें और कटौती प्रस्ताव वादविवाद के लिये प्रस्तुत हैं।

**योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर एक छोटा सा वक्तव्य देना चाहता हूं।

लोक लेखा समिति ने हीराकुंड बांध योजना पर अपनी रिपोर्ट २५ मार्च १९५३ को सदन के पटल पर रखी थी। उस लम्बी रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ने का मुझे अवसर नहीं मिला है परन्तु उसमें दिए गए विषयों पर पहले से ही विचार किया जा रहा था अतएव मैं बता सकता हूं कि सरकार ने क्या निश्चय किया है? सरकार का निश्चय एक विवरण में दिया गया है जो पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा है। देखिए संख्या ४ ओ ओ (६० क)**] समिति की २२ सिफारिशों में से हमने १६ सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा वैत्तिक परामर्शदाता और मुख्य लेखा अधिकारी की शक्तियों को अलग करने से सम्बन्धित शक्तियों को आंशिक रूप से माना है। शेष सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उससे मैं सर्वथा सहमत हूं। जो बातें कही गई हैं उनके बारे में निश्चय करने के पूर्व मुझे जांच करनी पड़ेगी।

हीराकुड बांध योजना के हिसाब रखने के तरीके में कार्यपालिका और वित्त मंत्रालय में भेद है। शीघ्र ही वहां पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक जायेंगे तथा उनकी मंत्रणा पर कार्य किया जाएगा।

**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : स्वीकार की गई सिफारिशें यदि बता दी जायं तो वाद विवाद करने में सहूलियत होगी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह लम्बी सूची है। प्रतियां बांटने के लिये मैं कह दूंगा।

**श्री नन्दा** : श्रीमान् वे सब यहां हैं।

**श्री वी० पी० नायर** : (चिरायिन्किल): श्रीमान् मंत्री जी ने कहा कि समिति की रिपोर्ट विवाद के समय रखी गई थी। वह दो दिन पहले रखी गई थी। ऐसा कहने में उनका उद्देश्य . . . . .

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे।

**श्री वी० पी० नायर** : मैं लोक लेखा समिति का सदस्य हूं। हमने अध्ययन करने के लिए माननीय सदस्यों के पर्याप्त समय दिया है। अन्यथा कहना अशुद्ध है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे ज्यादा समय चाहते हैं। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे।

**श्री वी०पी० नायर** : उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की है कि हमने जानबूझ कर ऐसा किया है।

**श्री टी० एन० सिंह** (जिला बनारस—पूर्व) : माननीय मंत्री जी का यह अभिप्राय नहीं था।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे।

**प्रो० डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : रिपोर्ट विवादास्पद है। उस पर चर्चा करने के लिये १ घंटा अलग रखा जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री एस० वी० रामस्वामी बोलेंगे।

**श्री एस० वी० रामास्वामी** (सलेम) : यह आय व्यय पंचवर्षीय योजना पर आधारित है अतएव वह उतनी ही प्रशंसा के योग्य है जितनी पंचवर्षीय योजना है। उसमें सिंचाई और विद्युत् के अध्याय सचमुच ही बड़े अद्भुत हैं। यदि हम उतना कर सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी।

इसमें त्रुटियां भी हैं। मद्रास के प्रधान मंत्री ने विधान मंडल में कहा है कि स्रोत के अभाव में मद्रास राज्य अपनी पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं कर सकता। वहां पर

प्रत्येक श्रेणी के लोगों को कष्ट है। केन्द्र से उन्हें सहायता नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र दूर है अतएव वहां आवाज पहुंचाने की आवश्यकता है।

मेरा निवेदन है कि मद्रास की दशा शोचनीय है। ६ ऋतुओं से लगातार वहां ठीक वर्षा नहीं होती। इससे किसान संकट में पड़ जाते हैं तथा उद्योगों के लोगों पर भी मुसीबत आ जाती है। जल की कमी से पर्याप्त जलविद्युत् उत्पन्न नहीं हो पाती अतएव उद्योग नहीं चल पाते। लोग बेकार हो जाते हैं। उनके पास क्रय शक्ति नहीं रहती। मद्रास में विद्युत् जाल है परन्तु पानी की कमी से उसका कोई लाभ नहीं रहा। यदि समस्त भारत का एक विद्युत् जाल बनाया जाए तथा राज्य के संकुचित दृष्टिकोण से न देख विस्तृत दृष्टिकोण से समस्या को देखा जाए तो भाकरा ननगाल की बिजली, केपकामोरिन को मिल सकती है। इसमें टैक्निकल कठिनाइयां हैं। इससे बिजली का नाश होगा। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला को इस बात की खोज करनी चाहिए कि बिजली बेतार से कैसे स्थानान्तरित की जा सकती है। यदि यह हो जाएगा तो हमें विदेशों पर तांबे के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

दक्षिण अर्काट में लिगनाईट पाया जाता है। तपीय स्टेशनों में उसके द्वारा बिजली बनाई जा सकती है। फिर वर्षा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे मद्रास का अधिक औद्योगीकरण हो सकेगा। मंत्री जी को चाहिए कि इस बारे में मद्रास सरकार को वित्तीय सहायता दें। मेरे जिले में एक जलप्रपात है। योजना आयोग से निवेदन है कि वे इस बात पर विचार करें कि होगेनक्कल में जल बिजली घर बनाया जाए।

पंचवर्षीय योजना में बताया गया है कि सिंचाई के लिये गोदावरी का १४ प्रतिशत, कृष्णा का १५ प्रतिशत तथा कावेरी के ६० प्रतिशत पानी का उपयोग होता है। हमें राज्यों के संकुचित दृष्टिकोण से न देख समग्र देश के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जलाशयों का पूर्ण उपयोग करने में राज्यों को पारस्परिकता से काम करना चाहिए। एक राज्य का जल तथा बिजली दूसरे राज्य को दी जा सकती है। इसमें राज्यों की सीमाओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तब ही इन साधनों का पूर्ण उपयोग हो सकेगा।

अतएव मेरा निवेदन है कि कृष्णा पेन्नार योजना को पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिए जिससे कि उसका जल मद्रास राज्य को मिल सके। कावेरी तो प्रायः सूख रही है।

लघु सिंचाई के साधनों के लिये बहुत कम पैसा नियत किया गया है। पंचवर्षीय योजना में बताया गया है कि सिंचाई के बड़े साधनों पर ४०० करोड़ रुपये व्यय करने से ८० लाख एकड़ भूमि सिंच सकेगी तथा सिंचाई के छोटे साधनों पर ७७ करोड़ रुपए व्यय करने से ११५ लाख एकड़ भूमि सिंच सकेगी। अतएव हमें सिंचाई के छोटे साधनों के लिए अधिक राशि नियत करनी चाहिए।

बहुत सी ऐसी लघु सिंचाई योजनाएं हैं जो पैसे के अभाव में रुकी हैं। यदि केन्द्र से सहायता मिले तो उन्हें पूरा किया जा सकता है। मद्रास में इन योजनाओं की बहुत आवश्यकता है।

**श्री मेघनाद साहा** : पंचवर्षीय योजना का अब मैं ठीक प्रकार से अध्ययन कर सका हूं। उसके विषय में कुछ कहूंगा।

पंच वर्षीय योजना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय २५ वर्ष में दुगुनी होगी परन्तु यदि इसी दर से जनसंख्या बढ़ती

गई तो हमारी आय केवल ३० प्रतिशत बढ़ेगी। अर्थात् केवल २३६ रुपए से बढ़ कर ३१५ रुपए हो जायेगी। अमेरिका की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय भारत से ३० गुनी है तथा इंग्लैण्ड की २० गुनी है। माना कि अंग्रेजों के कारण हम उन्नति नहीं कर पाए परन्तु क्या यह कार्य हम पंचवर्षीय योजना द्वारा कर रहे हैं? यदि हमारी आय पर्याप्त मात्रा में न बढ़ पाए तो क्या इस योजना को कोई योजना कहना चाहिए? अपनी 'डिस्कवरी आफ इण्डिया' नामक किताब में पंडित नेहरू ने लिखा है कि दस वर्ष में हम वार्षिक आय को २००–३०० प्रतिशत बढ़ा देंगे। उन्होंने कृषि तथा औद्योगीकरण को पूर्ववर्तिता देने के विषय में लिखा है। इस योजना म औद्योगीकरण के लिये कोई योजना नहीं ह २००० करोड़ में से औद्योगीकरण पर लोकक्षेत्र में केवल ९४ करोड़ और वैयक्तिक क्षेत्र में २३४ करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। नेशनल प्लानिंग कमीटी के समय पंडित नेहरू ने देश के औद्योगीकरण पर जोर दिया था। वे बड़े आधार उद्योग, मध्यम उद्योग तथा कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहते थे। योजना आयोग ने इन बातों को सर्वथा ध्यान में नहीं रखा है। पंडित नेहरू कहते हैं कि बिना औद्योगीकरण के देश की रक्षा का तथा गरीबी के प्रश्न का हल नहीं किया जा सकता। औद्योगीकरण के लिये आधार उद्योग महत्वपूर्ण होते हैं। अभी देश में ८० लाख टन लोहा होता है। हमें ३०० लाख टन लोहे की आवश्यकता पड़ती है। सरकार ने ४ लोहे के कारखाने आरम्भ करने की योजना बनाई थी। उनका काम अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है। सरकार के पास योजना बनाने वाले अच्छे व्यक्ति हैं परन्तु योजना आयोग के उद्योगों के परामर्शदाता उन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं होने देते।

लोहे के कारखाने स्थापित न करने से हमें बड़ा घाटा हुआ है। तटकर आयोग ने लोहे का मूल्य ३५० रुपए निश्चित कर दिया है। अन्य देशों में मूल्य ६०० रुपए है। देश में लोहे का अभाव हो गया है। अतएव कुछ खास लोगों को आयात करने के लायसेंस दिये जाते हैं। वे उस लोहे को ब्लैक मार्केट में बेच कर पैसा कमाते हैं। योजना आयोग ने टर्नओवर टैक्स का बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। यदि हम १० लाख टन लोहे का उत्पादन करें तो उसकी लागत ३५ करोड़ रुपए होगी। वह लोगों को ६०० रुपए टन पर अर्थात् उस मूल्य पर बेचा जाए जितना विदेशों में है। २५० रुपए प्रति टन अर्थात् २५ करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जो लाभ होगा उससे नया कारखाना स्थापित किया जा सकता है। यदि यह १९४९ में किया जाता तो हमारी राष्ट्रीय आय १०० करोड़ रुपए अधिक हुई होती। योजना आयोग ने इन पर कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उपभोक्ताओं के उद्योगों को प्रमुखता दी है। पूंजी उद्योगों को वैयक्ति क्षेत्र पर आश्रित रखा गया है। जब तक आधार उद्योग स्थापित नहीं किये जाते तब तक अन्य उद्योग नहीं पनप सकते।

हमें अगले पांच वर्षों में २००० रेल के इंजनों की आवश्यकता पड़ेगी मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोहे की कमी के कारण चितरंजन और टैलको के कारखाने उत्पादन नहीं कर पाते। भारत में तो बहुत अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। जापान की स्थिति खराब है फिर भी वहां ६० लाख टन लोहे का उत्पादन होता है।

इंग्लैण्ड ने लोहे का अपना उत्पादन १०० लाख टन से बढ़ा कर १६० लाख टन कर दिया है। १९२० में रूस की दशा हमारे ही समान थी आज वहां ६०० लाख टन लोहा

उत्पन्न किया जाता है। उन्होंने विदेशों पर निर्भर रह कर यह सब कुछ नहीं किया। राष्ट्रीय योजना समिति के समय टाटा आयरन और स्टील कम्पनी के एक बड़े अफसर श्री पी० एन० माथुर ने पुराने कारखानों के आधार पर मशीनें बनाने की योजना बनाई थी। हम वैसा कर सकते हैं।

एल्यूमीनियम उद्योग आधार उद्योग है। हम बहुत कम एल्यूमीनियम का उत्पादन करते हैं। बिहार से एल्यूमीनियम की कच्ची धातु अलवे भेजी जाती है। वहां बनाया गया पिग एल्यूमीनियम कलकत्ते भेजा जाता है, जहां उसकी चादरें आदि बनती हैं। इस कारण हमारा उत्पादन व्यय २५०० रुपए प्रति टन होता है। केनेडा से १६०० रुपए के हिसाब से एल्यूमीनियम खरीदा जा सकता है। हमारी एल्यूमीनियम कम्पनी के ७० प्रतिशत अंश केनेडा की कम्पनी के हाथ में हैं। वे जान बूझ कर हमारे उत्पाद को अकुशल बनाए रखना चाहते हैं। हम इस देश में बहुत कम व्यय में एल्यूमीनियम का उत्पादन कर सकते हैं।

देश में कोल्तार बनाने के कारखाने नहीं हैं। सोडा ऐश बनाने का उद्योग, आधार उद्योग है। इम्पीरियल केमीकल उद्योग इंग्लैण्ड में सोडा ऐश १४०—१६० रुपए के भाव से बेचता है तथा यहां पर वही चीज़ ३६० रुपए के भाव से बेचता है। इस उद्योग को हम सहायता दे रहे और यह उपभोक्ताओं का शोषण कर रहा है। इन्होंने उत्पादन बन्द कर विदेशियों से समझौता कर लिया है। हमें चाहिए कि हम अपना अलग सोडा ऐश उद्योग स्थापित करें। १९४९ में तटकर आयोग ने सिफारिश की थी कि मिदरी के पास इसका कारखाना खोला जाए परन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

योजना कमीशन के अनुसार आधार खोग वैयक्तिक पूंजीपतियों द्वारा स्थापित किये जायेंगे। परन्तु क्या उनके पास इसके लिये आवश्यक पूंजी है?

विदेशियों ने इस योजना की बड़ी प्रशंसा की है। इस योजना की तारीफ करने के लिये वही सर जार्ज शुस्तर बुलाए गए थे जिनकी कृपा से १९३० में भारत को बड़ी हानि सहनी पड़ी थी। हमें इस योजना पर काम नहीं करते रहना चाहिये। इस से हम केवल कच्चे माल के उत्पादक बने रहेंगे। यह योजना हमें अन्न देने की आशा देती है। इससे न औद्योगीकरण हो सकेगा न शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था ही हो सकेगी।

प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसमें आवश्यक परिवर्तन किए जा सकेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि इस योजना को बदल देना चाहिए। प्रतिक्रियावादी पदाधिकारी तथा परामर्शदाता हमारे देश की उन्नति में बाधक सिद्ध हो रहे हैं।

**श्री सारंगधर दास** (ढेनकनाल—पश्चिम कटक): योजना आयोग को पहिले गांव वालों की आवश्यकताएं मालूम करनी चाहिए थीं। जहां तहां सामुदायिक योजनायें आरम्भ करने से कोई लाभ नहीं है। उड़ीसा में कुछ गांवों के लोगों को सामुदायिक योजना उतनी आवश्यक नहीं मालूम पड़ती जितनी कि सिंचाई के साधनों की आवश्यकता मालूम पड़ती है।

जनता का सहयोग सब कोई चाहते हैं परन्तु उसका लाभ नहीं उठाते। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में दो साल पहले ऐसी सिंचाई की योजनायें बनाई थीं जिन्हें कार्यान्वित किया जा सकता था। केन्द्र से उनके लिये पैसा भी मिला है परन्तु वहां के डिप्टी कलैक्टर अभी तक उनकी जांच ही कर रहे हैं। इस तरह हम खाद्य के सम्बन्ध में कैसे आत्मनिर्भर हो सकेंगे? तहसीलदार और डिप्टी कलैक्टर आदि योजनाओं

[श्री सारंगधर दास]

को कार्यान्वित करने के योग्य नहीं है। मैं इस अनुभव के पश्चात् हतोत्साह हो गया हूं। इस काम के लिये २५ करोड़ रुपया नियत किया गया है परन्तु इसमें से कुछ तो खजाने में पड़ा रहेगा और कुछ रुपया लोग उड़ा जायेंगे तथा काम कुछ न हो पाएगा। पदाधिकारियों को काम की सर्वथा चिन्ता नहीं है। योजना दो साल से कार्यान्वित की जा रही है परन्तु हमें यह नहीं मालूम कि कितना काम हुआ है।

पिछले साल मैंने हीराकुड की कुछ अनियमितायें बतलाई थीं। मंत्री जी ने उस समय कहा था कि वे तथ्यहीन हैं। किन्तु मैं अब देखता हूं कि मैंने बैलों, परिवार पोषण और भ्रष्टाचार के बारे में जो भी आलोचना की थी, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में उसकी पुष्टि की गई है। इसके लिये मैं लोक लेखा समिति को धन्यवाद देता हूं।

१९४८ की सैवेज रिपोर्ट में बांध के निर्माण के साथ अन्य कुछ बातें करने के लिये भी सिफारिश की गई थी। उन में से एक भी नहीं की गई। एक सिफारिश जल-ग्रह क्षेत्र में पुनः जंगल लगाने के लिये थी कुछ लोगों को जिन्हें इस विषय का ज्ञान है कहते हैं कि यदि ऐसा न किया गया तो बांध में १५ या २० वर्ष मिट्टी भर जायेगी। उनके आन्दोलन के बावजूद भी हम ने अभी तक पुनः जंगल लगाने का काम शुरू नहीं किया।

हीराकुड के बारे में दूसरी बात जो मैंने दिसम्बर में कही थी यह है कि उड़ीसा सरकार के कृष्यकरण विभाग और परियोजना प्राधिकारियों में समन्वय नहीं है और यदि है, तो बहुत कम है, जिसके फलस्वरूप भूमि का कृष्यकरण परियोजना प्राधिकारियों के आदेशानुसार किया जाता है और ५३ ग्रामों के डूब जाने का खतरा है। इसके साथ कई हज़ार एकड़ भूमि पर जिसे कृषि योग्य बनाया जा चुका है, फिर झाड़ियां आदि पैदा हो चुकी हैं। ग्रामों के पानी में डूब जाने के समय जब लोग वहां जायेंगे तो इसे फिर साफ करना पड़ेगा।

लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, मुझे यह कहना पड़ेगा कि हीराकुड परियोजना पर पांच साल में जो काम हुआ है, वह निन्दनीय है और इसकी वर्तमान स्थिति शोचनीय है। मैं समिति की इस सिफारिश का पूरा समर्थन करता हूं कि वहां दिन के चौबीस घंटे एक सर्वकालीन मुख्य इंजीनियर रहना चाहिए। मैं इस सिफारिश का भी समर्थन करता हूं कि सारी संस्था का अध्यक्ष एक उच्चकोटि का प्रशासक होना चाहिये, जो कि सब कार्यों का समन्वय कर सके और महानदी घाटी के सामान्य विकास की ओर ध्यान दे सके।

**श्री टी० एन० सिंह** : सब से पहले मैं सिंचाई मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने इतने थोड़े समय में लोक लेखा समिति की अधिकतर सिफारिशें स्वीकार कर के वास्तविक महानता का प्रमाण दिया है।

लोक लेखा समिति में हमारा काम यह था कि हम हर प्रकार की अनियमितताओं की जांच करें। यह बहुत कठिन कार्य है। मुझे उन पदाधिकारियों में जो इस परियोजना पर काम कर रहे हैं, पूर्ण विश्वास है। मुझे विश्वास है कि वे बहुत परिश्रम कर रहे हैं। मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं कि हमारी समिति को दोनों मंत्रालयों ने पूर्ण सहयोग दिया है। और मैं भी माननीय मंत्री को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम ने बहुत विनय की भावना से सारे प्रश्न की जांच की है। हमारा देश एक गरीब देश है और हमारी

साधन सामग्री सीमित है। हमारे पास जो भी प्रविधिविज्ञ तथा विशेषज्ञ हैं, हमने उन से ही काम लेना है। यदि हमारे इंजीनियरों ने कोई गलतियां की भी हैं, तो मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मैं उन पदाधिकारियों को जो इस काम पर लगे हुए हैं कहूंगा कि वे हमारी आलोचना से बिल्कुल चिन्तित न हों। यह आलोचना मैत्रीपूर्ण भावना से की जा रही है। हमारी रिपोर्ट को भी इस भावना से स्वीकार करना चाहिये।

मैं अपने बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मेरी सदा यह राय रही है कि इन छोटी छोटी परियोजनाओं का हमारे लिये अधिक महत्व है। इन्हें चलाना न केवल हमारे लिये सुगम है, अपितु इन के फल भी हमें तुरन्त उपलब्ध होंगे। एक और दृष्टिकोण से भी ये हमारे लिये आवश्यक हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये हमें घाटे के बजट में जाना पड़ रहा है। इसी लिये मुझे अधिक प्रसन्नता होगी यदि हम अपने संसाधन छोटी परियोजनाओं में लगायें। इन से हमें आय भी जल्दी होगी।

एक और बात जो मुझे इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्पष्ट दिखाई देती है, यह है कि हम असाधारण रूप से विदेशी वैज्ञानिकों विदेशी विशेषज्ञों की सहायता पर निर्भर हैं। मेरे विचार में यह उचित नहीं है। विदेशियों को बुलाने की अपेक्षा गलतियां करके उन से सीखना अच्छा है। मुझे हर्ष है कि हीराकुड में सिवाय एक दो मामलों के जिन में अमेरीकियों से सलाह ली गई थी, हमने अपने इंजीनियरों पर ही भरोसा किया है।

**श्री टी० एन० सिंह** : हम ने रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं। कुछ का सम्बन्ध विशिष्ट व्यक्तियों से है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है विशेषकर जिनका सम्बन्ध स्लीपर तथा बेलों के मामलों से रहा है। एक दूसरी सिफारिश है कर्मचारियों के सम्बन्ध में। हम चाहते हैं कि एक ही व्यक्ति पर एक से अधिक जिम्मेदारियां न लादी जायें। मेरे विचार में प्रशासन सम्बन्धी परिवर्तन पर, जिसमें प्रशासक के नियुक्त किये जाने का भी प्रश्न शामिल है, माननीय मंत्री भी विचार कर रहे हैं। मगर इस सम्बन्ध में उन्हें जल्दी करनी चाहिये क्योंकि प्राक्कलन समिति ने भी ऐसी ही सिफारिश की है। मुझे इस बात का सन्तोष है कि सरकार ने समिति द्वारा की गई २२ सिफारिशोंमें से १६ सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। शेष पांच या छै सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है। क्योंकि इनसिफारिशों का सम्बन्ध प्रशासनीय परिवर्तन से है अतः इसमें देर लगना स्वाभाविक ही है। हमने यह सिफारिश की है कि एक पृथक् वित्तीय सलाहकार अधिकारी होना चाहिये। साथ ही एक पृथक् मुख्य लेखा अधिकारी भी होना चाहिये किन्तु उसे वित्तीय सलाहकार के नीचे काम करना चाहिये।

प्राक्कलन समिति ने केन्द्रीय जल शक्ति आयोग के कर्मचारियों, सदस्यों तथा अध्यक्ष और और उनके कृत्यों के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें तीन वर्ष पहले की थीं किन्तु खेद का विषय है कि अब तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरे विचार में अब तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही की ही जानी चाहिये। माननीय मंत्री ने कहा है कि वह रिपोर्ट का अक्षरशः पालन करने में असमर्थ हैं। परन्तु मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट तैयार की गई है वह इस उद्देश्य से की है कि हम परियोजना में सुधार कर सकें। गलतियां निकालना हमारा काम है किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि हम ऐसा

[श्री टी० एन० सिंह]

साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण से करते हैं। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

**श्री बूबराधसामी** (पेराम्बलूर) : मेरा माननीय सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री से निवेदन है कि वह योजना पर एक बार पुनः विचार करें। योजना आयोग ने देश की वर्तमान परिस्थितियों का पूरी तरह से अध्ययन किये बिना ही, विशेषकर दक्षिण भाग की परिस्थितियों का, योजना तैयार कर दी है। दक्षिण में हमेशा अकाल और सूखा ही बना रहता है। लोग पानी तक को तरस जाते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि कावेरी नदी का पानी मोहानूर के पास से एक नहर निकाल कर उसमें जाने दिया जाये। इससे त्रिची जिले की लगभग पांच लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी। इसकी लागत भी दो या तीन करोड़ रुपये से अधिक नहीं बैठेगी। यहां तक कि लोग अतिरिक्त कर देने के लिये भी तैयार हैं। ऐसा करने से तामिल नाड क्षेत्र अकाल से हमेशा के लिये मुक्त हो जायेगा।

बिजली आधुनिक काल में सबसे अधिक आवश्यकता की चीज है। सिंचाई के लिए तो यह बहुत ही आवश्यक है। भारत के केवल ३००० गांव में बिजली का प्रबन्ध हुआ है, शेष ५,६०,००० गांवों में अभी बिजली का कोई प्रबन्ध नहीं है मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में तो बड़े बड़े स्थानों तक में बिजली का कोई प्रबन्ध नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र में, अर्थात् त्रिची जिले में शीघ्र से शीघ्र बिजली का प्रबन्ध किया जाये।

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की गई है। कहा जाता है कि योग्यता प्राप्त डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। वे अधिकतर शहरों ही में काम करना चाहते हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक डाक्टरों को ग्राम्य क्षेत्रों में भेजा जाये और १००० व्यक्तियों के बीच कम से कम एक डाक्टर होना चाहिये।

**श्री ए० एन० टामस** (ऐरणाकुलम्) : योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय के सम्बन्ध में जो मांगें रखी गई हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। डा० साहा ने यह कहा था कि योजना में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जो व्यवस्था की गई है वह बिल्कुल ही अपर्याप्त है तथा यदि परिवर्तन न किया गया तो हमारा देश अनेक वर्षों तक एक पिछड़ा हुआ देश ही बना रहेगा। मेरा निवेदन है कि आलोचना करने से पहले उन्हें कम से कम हमारी बहुप्रिय योजनाओं को तो ध्यान में रखना चाहिये था। यह तो मानी हुई बात है कि जिस देश में बिजली का सबसे अधिक उपयोग होता है वही देश औद्योगिक दृष्टि से बढ़ा हुआ माना जाता है। हमारे देश में बिजली का उपयोग प्रति व्यक्ति १४ किलोवाट होता है जबकि स्वीडन में यही २,४०० किलोवाट होता है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ने बिजली पैदा करने की जो योजनाएं बनाई हैं वे महत्वपूर्ण हैं। वे ही हमारे औद्योगिक विकास का आधार होंगी।

लोक लेखा समिति ने हीराकुड परियोजना के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट पेश की है वह महत्वपूर्ण है। उसमें अनेक अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। हाल ही में माननीय मंत्री ने भी वहां पर १३ दिन व्यतीत किये थे तथा वहां के प्रबन्ध का बारीकी से अध्ययन किया था। अतः अब पुरानी बातों को लेकर रोने से तो कोई लाभ न होगा किन्तु हमें चाहिये कि हम भविष्य के लिये सतर्क हो जायें तथा अपनी गलतियों से लाभ उठायें।

हाल ही में मुझे अन्य साथियों के साथ दामोदर घाटी निगम देखने का अवसर प्राप्त

हुआ था। मैं वहां की प्रगति देख कर बहुत ही प्रभावित हुआ हूं। वह दिन दूर नहीं है जब दुःख की नदी, जैसा कि दामोदर नदी को कहा जाता, 'सुख की नदी' में परिवर्तित हो जायेगी।

अब मैं अपने प्रादेशिक क्षेत्र को लेता हूं। यह बात कुछ सीमा तक ठीक ही है कि योजना आयोग ने दक्षिण का बहुत कम ध्यान रखा है। योजना में जिन परियोजनाओं की व्यवस्था की गई है उनमें से अधिकतर वे योजनाएं हैं जो पंचवर्षीय योजना के बनने से पूर्व ही आरम्भ कर दी गई थीं। पंचवर्षीय योजना में उन्हें बहुत ही कम सहायता दी गई है। त्रावणकोर-कोचीन राज्य के १२ लाख लोगों के लिये पंचवर्षीय योजना में केवल २७ करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। मेरा निवेदन है कि यदि इडिडकी जैसी महत्वपूर्ण योजना को हाथ में ले लिया जाय तो बहुत सीमा तक यह शिकायत दूर हो जायगी कि दक्षिण को पंचवर्षीय योजना में यथेष्ट स्थान नहीं दिया गया है।

**श्री सी० के० नायर** (बाह्य दिल्ली): सभापति जी, आपने मुझ को इतना समय दिया इस के लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

**५ म० प०**

मुझे दिल्ली के इरिगेशन के बारे में कुछ बातें कहनी हैं। मैं आम तौर पर संसद् में नहीं बोला करता हूं। मेरे पास काम काफ़ी से ज्यादा रहता है लेकिन इस वक्त दिल्ली के इरिगेशन के बारे में कुछ कहना बहुत मौजूं समझ कर इस मौके से फायदा उठाना चाहता हूं। ज्यादा शिकायतें दक्षिण की स्टेट्स में से आती हैं कि क्षिण की स्टेट्स को बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया है, उन के साथ ज्यादा बेपरवाही बरती गई है, लेकिन मेरे ख्याल में दिल्ली स्टेट को सब से ज्यादा इग्नोर किया गया है इन तमाम रिवर वैली प्रोजेक्टस में। मिसाल के तौर पर दिल्ली की कुल साढ़े तीन लाख एकड़ ज़मीन है, इससे कुछ ज्यादा ही, यानी ३६४ हज़ार एकड़ है। इस में से कुल ३६ हज़ार एकड़ जमीन को वैस्टर्न यमुना केनाल से पानी मिलता है और वह भी जितना मिलना चाहिये, कोट के मुताबिक उससे आधा मिलता है। और आधा मिलने पर भी पूरा आबियाना चार्ज किया जाता है। यहां इन ३६ लाख एकड़ के बाहर एक लाख एकड़ ज़मीन ऐसी पड़ी हुई है जिस के लिये पानी की सख्त ज़रूरत है। दिल्ली के चारों तरफ ग्रीनबैल्ट और मिल्क फार्म्स बनाने की बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं लेकिन मैं ताज्जुब करता हूं कि यह तमाम चीजें पानी के बगैर कैसे की जा सकती हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि भाकरा प्रोजेक्ट के नीचे दिल्ली को एक क्यूसैक्स पानी भी नहीं मिलता है। यह कितने ताज्जुब की बात है कि जब दिल्ली को पंजाब के सिवाय और किसी सूबे से पानी नहीं मिल सकता है तो पंजाब के सब से बड़े डैम से न सिर्फ पंजाब के बल्कि सारे हिन्दुस्तान के सबसे बड़े डैम से, बल्कि मैंने तो यहां तक सुना है कि यह दुनिया का सब से बड़ा डैम होगा, दिल्ली को एक कतरा भी पानी नहीं नसीब होता है। इसकी क्या वजह है। इसकी वजह यह है कि सब से पहले जब भाखरा डैम के पानी का बटवारा हो रहा था उस वक्त पंजाब पेप्सू और राजस्थान के नुमायन्दों ने बैठ कर इस का बटवारा किया और दिल्ली को बिल्कुल इगनोर किया गया। दिल्ली के चीफ़ कमिश्नर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। न हमारी होम मिनिस्ट्री ने इसकी परवाह की जो दिल्ली के लिये ज़िम्मेवार है। मैं इस काम को क्रिमिनल समझता हूं कि इस सूबे के साथ इतनी बेपरवाही की गई है। जब कि हमारे सूबे का पूरा हक़ है भाखरा डैम से पानी लेने का हक

[श्री सी० के० नायर]

इस प्रकार उसे पूरे तौर पर इगनोर क्यों किया गया। इसकी पूरे तौर पर तहकीकात होनी चाहिये। मैं मानता हूं कि अब भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजर गया है। अब भी इस मामले की पूरी तहकीकात करनी चाहिये। हम ने पढ़ा है कि भाखरा डैम से ६·५ मिलियन एकड़ यानी ६५ लाख एकड़ जमीन को पानी मिल सकता है। दिल्ली को तो सिर्फ एक लाख एकड़ ज़मीन के लिये पानी की आवश्यकता है। इसमें से ६५ वां हिस्सा पानी दिल्ली को मिल जाये। अगर ऐसा हो तो दिल्ली सारे हिन्दुस्तान का एक शानदार बाग बन सकता है जिसके अन्दर न सिर्फ हिन्दुस्तान के चारों तरफ से यात्री लोग आते रहते हैं बल्कि सारी दुनिया के लोग आ कर दिल्ली शहर के बाहर जाना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि यहां के देहात की क्या हालत है। वहां उन को उल्टी स्थिति नज़र आती है। जितनी दिल्ली खुशहाल है और सुन्दर है और आराम में मस्त है उतने ही हमारे देहाती लोग तकलीफ और दुख में मस्त हैं। क्योंकि उन लोगों को पानी नहीं मिलता है। जिस एक लाख एकड़ जमीन के बारे में मैं कह रहा था उसके नीचे का पानी खारा है, ज़मीन के लायक नहीं है। बेशक हमें नांगल प्रोजेक्ट से बिजली मिल रही है। उस बिजली से अगर हम चाहें तो ट्यूब बैल्स कायम कर सकते ह। लेकिन जिस एरिया के बारे में मैं कह रहा हूं उस एरिया में ट्यूब बेल्स कारआमद नहीं हो सकते क्योंकि वहां का पानी खारा है। इस वजह से उस पानी से उस ज़मीन को फायदा नहीं हो सकता। नम्बर १ और नम्बर २, वही ज़मीन बहुत बड़ा सरफेस है। उसमें में नहर का पानी आवश्यक मिलना चाहिये और मेरी समझ में नहीं आता कि भाखड़ा प्रोजेक्ट से पानी क्यों नहीं मिल सकता हर हालत में वहां पानी अवश्य मिलना चाहिये। यह मेरी प्लानिंग मिनिस्टर से एक पुरज़ोर अपील है। दिल्ली के पानी के बारे में जितनी बेपरवाही की गई है उसकी तहकीकात करें और जो भाखराडैम ६५ लाख एकड़ ज़मीन को पानी दे सकता है उसमें बचा कर किसी प्रकार दिल्ली के एक लाख एकड़ को पानी ज़रूर देना चाहिये। उस वक्त हम दिल्ली के चारों तरफ़ ग्रीनबैल्ट सुन्दर तरीके से बना सकेंगे। बगैर पानी के दिल्ली में कुछ काम नहीं हो सकता क्योंकि नीचे का पानी खराब है।

दूसरे दिल्ली की हालत इतनी खराब इसलिये भी है कि दिल्ली में एक इरीगेशन डिपार्टमेंट तक नहीं है। इरीगेशन यूनिट न होने की वजह से और हमेशा पंजाब के साथ जुटा रखने की वजह से दिल्ली को हमेशा तकलीफ रही है। नहर के सिलसिले में जितनी शिकायतें थीं उनको कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि हमारा महकमा नहीं है। हमें हर बात में पंजाब के पास जाना पड़ता था। इसीलिये मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि दिल्ली में एक इरिगेशन यूनिट अलग बन जाना चाहिए जो कि हमारी इरिगेशन की ज़रूरियात को अच्छी तरह से अध्ययन करे और उसको पूरे तौर पर इम्पलीमेंट करने की कोशिस करे।

और तीसरी चीज़ मुझे और कहनी है क दिल्ली में एक सीवेज फार्म है ओखले के पास। उसमें भी ढाई हज़ार एकड़ ज़मीन की आबपासी होती है लेकिन क्योंकि हमारा कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं है इसलिए वहां के आबयाने के असेसमेंट का तरीका बहुत गलत है और उसको साइंटिफिक तरीके से नहीं किया जाता है सुना है कि वहां और ज़्यादा ज़मीन को काशत में लेकर उस फार्म को ऐक्सटेंड करना चाहते हैं। इसलिये मैं इस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान खींचना चाहता

हूं। सब से पहले वहां एक इरीगेशन यूनिट हो और दूसरी चीज़ यह कि दिल्ली के लिये भाखरा डैम से पूरा पानी हासिल करने की कोशिश की जाय। यह कह कर मैं चेयर को शुक्रिया अदा करता हूं।

**श्री सी० आर० चौधरी** (नरसरावपेट) : पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में कृष्णा नदी से सम्बन्ध रखने वाली एक योजना को शामिल करने का विचार है। परन्तु मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कृष्णा घाटी में करीब करीब हमेशा ही अकाल की सी परिस्थितियां बनी रहती हैं। वहां पर वर्षा भी बहुत कम होती है। खेती भी पुराने ही ढंग से की जाती है। कुछ समय पूर्व मद्रास सरकार ने कृष्णा पेन्नार योजना विशेषज्ञ समिति के सामने रखी थी किन्तु समिति ने उसे अलाभदायक बता कर अस्वीकार कर दिया था। इसके मुकाबले पर हैदराबाद सरकार ने नन्दीकोंडा परियोजना रखी थी जो कि प्रस्तावित बांध के बाईं ओर के क्षेत्र से सम्बन्ध रखती थी। खोसला समिति ने हैदराबाद सरकार की इस परियोजना पर पुनः विचार करने के पश्चात् यह सिफारिश की थी कि नन्दीकोंडा परियोजना को पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया जाये। बहुत दिनों तक तो यह रिपोर्ट प्रकाशित ही नहीं की गई किन्तु जब प्रकाशित की गई तो फिर अड़चन लगाई गई। सम्बद्ध राज्यों के इंजीनियरों ने एक सम्मेलन में यह निश्चित किया कि परियोजना आरम्भ करने से पूर्व मद्रास में आने वाले दाहिने नहर क्षेत्र की भी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाये। यह जांच पड़ताल दस महीने में समाप्त हो जानी है। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि न तो मद्रास सरकार ही और ना ही योजना आयोग इस जांच पड़ताल के सम्बन्ध में कोई दिलचस्पी दिखला रहा है। जो काम दस महीने में हो जाता उसी को पूरा करने में आयोग ने २ १/२ वर्ष से अधिक लगा दिये। इस प्रकार से योजना नहीं बनाई जा सकती है। यदि आप को कोई काम करना है तो दिल से कीजिये नहीं तो उसमें हाथ ही न लगाइये। जनता को झूठे वायदों से आप खुश नहीं कर सकते। आप जांच पड़ताल में जितनी ही देर करते जाते हैं लोग उतना ही आप पर सन्देह करने लगे हैं। उनका विचार है कि आप जान बूझ कर ही नन्दीकोंडा परियोजना को पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं करना चाहते हैं।

एक बात और है। जब कृष्णा पेन्नार योजना को खोसला समिति ने अस्वीकार कर दिया था तो साथ ही गन्डीकोटा योजना भी अस्वीकार कर दी गई थी। परन्तु रायलसीमा के लोगों के लिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अतः मेरा निवेदन है कि गन्डीकोटा परियोजना को भी नन्दीकोंडा का ही एक भाग बना लिया जाये। तथा इसे पंचवर्षीय योजना में शामिल करके काम शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाये।

**श्री सी० भट्ट** (भड़ौच) : मैं यहां पर एक साल से माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा हूं। सरकारी पक्ष की ओर से कुछ बातें कही जाती हैं। विरोधी पक्ष के उनकी आलोचना करते हैं। यह सब तो ठीक है किन्तु इस मियां बीबी की लड़ाई में बेचारे सरकारी अधिकारियों की मुफ्त में ही खबर ली जाती है। मेरे विचार में उनको इस प्रकार की लड़ाई में नहीं खींचा जाना चाहिये।

समस्त भारत में अनेक योजनायें हैं किन्तु दुर्भाग्यवश भड़ौच ज़िले का कहीं भी नाम नहीं है। पता नहीं नर्मदा परियोजना को क्यों निकाल दिया गया है। भड़ौच के क्षेत्र में पिछले ५० वर्षों से अक्सर पानी की कमी बनी रही है। अकाल पड़ते रहे हैं। यद्यपि

[ श्री सी० भट्ट ]

राज्य सरकार समय समय पर हमारी पूरी सहायता करती रही है किन्तु अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जिससे अकाल की छाया हमेशा के लिए दूर हो जाती। नर्मदा परियोजना को विशषज्ञों ने भी स्वीकार कर लिया है। सरकार ने भी इसके महत्व को मान लिया है। परन्तु आश्चर्य है कि इसे पंचवर्षीय योजना में क्यों नहीं शामिल किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि यदि केन्द्रीय सरकार सहायता देना स्वीकार कर ले तो यह परियोजना आरम्भ की जा सकती है। मैं आपको तथा सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप चाहें तो मैं घर घर जा कर इस परियोजना के लिये रुपया इकट्ठा करने के लिये तैयार हूं। और भी हर तरह से हम आपकी सहायता करने के लिये तैयार हैं। मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि माननीय मंत्री इस परियोजना को पंचवर्षीय योजना में शामिल करके शीघ्र से शीघ्र इस पर काम आरम्भ कर दें।

**श्री नटेशन** (तिरुवल्लूर) : सबसे पहले म बिजली पैदा करने की समस्या को लेता हूं। यह बतलाया गया है कि दामोदर घाटी निगम १,५०,००० कीलोवाट बिजली पैदा करेगा। भाखरा-नंगल परियोजना में आरम्भ में, २४,००० कीलोवाट बिजली पैदा करने वाले दो स्टेशन बनाये जायेंगे तथा अन्त में यहां से चार लाख कीलोवाट बिजली तक पैदा की जा सकेगी। हीराकुंड के सम्बन्ध में भी यही हाल है। वहां भी काफी बिजली पैदा की जायगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इतनी बिजली पैदा होगी तो इसका उपयोग किस प्रकार होगा। क्या आप ने इस का प्रयोग करने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की है? अभी तो इन क्षेत्रों के आस पास कारखाने बनाने आरम्भ तक नहीं किये गये हैं। फिर इतनी बिजली का क्या होगा। आपको इसके उपयोग के सम्बन्ध में भी पहले ही से योजना बना लेनी चाहिये।

अक्सर कहा जाता है कि इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में अधिक से अधिक देशी माल का प्रयोग किया जाना चाहिये। परन्तु मैंने तो यह देखा है कि अधिकतर सामान विदेशों से ही मंगा कर लगाया जा रहा है। यहां तक कि 'इन्सूलेटर' भी बाहर से मंगाये जाते हैं। इस का कारखाना तो हम भारत में ही खोल सकते हैं। इस प्रकार लाखों रुपये की बचत हो सकती है।

अब मैं अपन निर्वाचन क्षेत्र को लेता हूं। दक्षिण भारत में पानी की कमी के कारण अक्सर अकाल की सी परिस्थितियां बनी रहती हैं। हाल ही में बिजली के प्रयोग किये जाने पर ६६$^{२}/_{३}$ प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। इसके फलस्वरूप मद्रास में अनेक मिल बन्द हो गये हैं। मजदूर बेकार हो गये हैं। अतः दक्षिण भारत में बिजली और पानी की परम आवश्यकता है। मद्रास सरकार ने पेरियर परियोजना रखी थी। केन्द्रीय जल शक्ति आयोग ने उसे स्वीकार भी कर लिया था किन्तु पता नहीं कि उसे पंचवर्षीय योजना में क्यों नहीं शामिल किया गया है। इसके अलावा कुन्दा परियोजना भी है जिससे ७५,००० किलोवाट बिजली आरम्भ ही में प्राप्त हो सकती है। यदि दोनों परियोजनाओं को आरम्भ करने का विचार नहीं है तो कुन्दा परियोजना को पंचवर्षीय योजना के दूसरे चरण में शामिल किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र टैकनिकल सहयोग प्रशासन प्रोग्राम के अन्तर्गत उत्तर-प्रदेश, बिहार तथा पंजाब में २००० नलकूप लगाये जा रहे हैं। मदुरा, रामनद, टिन्नीविल्ली आदि स्थानों में अकाल पड़ता रहता है। सरकार को वहां भी नलकूपों आदि का प्रबन्ध करना चाहिये।

दक्षिण भारत भी भारत का ही एक भाग है। उस ओर भी सरकार को पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये।

**श्रीमती कमलेंदुमति शाह** (ज़िला गढ़वाल–पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर-उत्तर) : देश में अनेक स्थानों पर सामूहिक परियोजना का प्रबन्ध किया गया है किन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र को पुनः छोड़ दिया गया है अर्थात् टैहरी-गढ़वाल ज़िले को यद्यपि वहां पर काफी नदी नाले हैं फिर भी कभी कभी कमी का अनुभव करना पड़ता है। इस प्रदेश में यातायात के साधन बहुत ही सीमित हैं। यदि वहां पर सड़क और पुल बना दिये जायें तो यह कमी दूर हो सकती है। नदी नालों से बिजली पैदा करने का काम लिया जा सकता है। यदि सहकारी समितियां स्थापित कर दी जायें तो कुटीर उद्योगों को काफी प्रोत्साहन मिल सकता है। मेरे विचार में ३०० गांवों का ब्लाक बहुत छोटा होगा और अधिक गांवों को शामिल किया जाना चाहिये। दूसरे सामूहिक परियोजना को महात्मा जी को गांव सुधार योजना के आधार पर बनाया जाना चाहिये। गांव की प्रत्येक संस्था को तीन वर्ष में आत्म निर्भर हो जाना चाहिये। स्कूलों में कुटीर उद्योगों पर ज़ोर दिया जाना चाहिये। तीसरी बात यह है कि सामूहिक परियोजना के लिये क्षेत्र ढूंढने के पहले विशेषज्ञों को स्थानीय लोगों तथा वहां की परिस्थितियों का पूरा पूरा अध्ययन कर लेना चाहिये। यह कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं चाहती हूं कि सरकार सामूहिक परियोजना कार्यान्वित करने से पहले ध्यान में रखे।

लोगों में पेड़ लगाने के प्रति उत्साह पैदा किया जाना चाहिये क्योंकि पेड़ की लकड़ी को हम अनेक प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं।

हमारे देश में महिलाओं को बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है विशेष कर गांवों में। उनकी शिक्षा आदि का प्रबन्ध होना चाहिये। यद्यपि पंचवर्षीय योजना में उनके लिये व्यवस्था की गई है फिर भी वह पर्याप्त नहीं है।

**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : मैं इस देश के इंजीनियरों को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। देश का निर्माण करने और इसे आत्मनिर्भर बनाने का भार इन परिश्रमी और ईमानदार इंजीनियरों पर है, जो कि देश का उत्पादन बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

लोक लेखा समिति के सदस्यों का परिश्रम प्रशंसनीय है और बहुत विचार के बाद वे अपने निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। किन्तु गलतियां हर एक से हो सकती हैं। इस लिये जब उसकी रिपोर्ट में मुझे कुछ आलोचनात्मक बातें दिखाई दीं, तो मैंने सोचा कि समिति को दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण पर पूरा विचार कर के अपना निर्णय देना चाहिये था।

मैं इस रिपोर्ट की कुछ बातों की ओर निर्देश करूंगा। उदाहरणतया पृष्ट ५, पैरा १२ में लिखा है कि :

"उप समिति को सूचना दी गई है कि १९४८ के मध्य तक ६ मासों की अवधि में हीराकुड में लगभग ५ करोड़ रुपये के स्टोर लाए गये थे।" सत्य तो यह है कि उस समय तक २८ लाख रुपये की वस्तुएं भी नहीं मंगाई गई थीं। कुछ व्यक्तियों के व्यवहार पर आलोचना भी की गई है। मैं समझता हूं कि अपने आप को एक जांच समिति समझते हुए, सदस्यों को साक्ष्य की पूरी छानबीन करनी चाहिये थी और हमें भी साक्ष्य का एक संक्षिप्त विवरण देना चाहिए था। यदि कोई अनियमितताएं की गई हैं, तो उन्हें रोकने के लिये भी पग उठाने चाहियें और यदि

[श्री टेक चन्द]

किसी व्यक्ति ने अपने कर्तव्यकी ओर उपेक्षा की है, तो उसे अपनी सफ़ाई पेश करने का अवसर देने के बाद कड़ा दंड देना चाहिए।

**श्री नन्दा** : सबसे पहले मैं दोनों पक्षों के भाषणों की सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही रचनात्मक हैं। इन में जितने प्रश्न उठाये गये हैं मैं उन सब की चर्चा नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास समय कम है। मैं केवल मुख्य मुख्य बातों पर चर्चा करूंगा।

जहां तक लोक लेखा समिति का सम्बन्ध है, हम ने उस की अधिकतर सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। जो थोड़ी सी बाकी रह गई हैं, वे विचाराधीन हैं। मुझ से पूछा गया था कि क्या हम इस रिपोर्ट के फलस्वरूप कुछ कार्रवाई करेंगे और क्या हम उन पदाधिकारियों के विरुद्ध जिन के उत्तरदायित्व का प्रश्न उठाया गया था, कोई कार्रवाई कर रहे हैं? जैसा कि मैंने अपने पहले वक्तव्य में स्पष्ट किया था, हमें समिति के निर्णयों पर विचार करने का पर्याप्त समय नहीं मिल सका, इसलिये मैं अभी नहीं कह सकता कि क्या कार्रवाई की जायेगी। किन्तु पदाधिकारियों के कुछ मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। एक दो और मामलों में कुछ प्रक्रियाओं के पूरा होने पर कार्रवाई की जायेगी।

**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : मैं जान सकता हूं कि आप अब तक किन किन विषयों पर कार्रवाई कर चुके हैं?

**श्री नन्दा** : मेरे पास सिफारिशों की सूची है। यदि मैं इस सारी को पढ़ूं तो बहुत समय लगेगा।

**श्री वी० पी० नायर** : आप कम से कम सिफारिश की संख्या तो बतलाइये।

**श्री नन्दा** : उदाहरणतया, मैं यह बतलाना चाहूंगा कि कुछ सिफ़ारिशें स्टोर सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में हैं। इस पर काफ़ी समय से अमल किया जा रहा है। इसी तरह कुछ प्रश्न संघटन या प्रबन्ध के बारे में हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आधारभूत प्रश्न हैं और इस सम्बन्ध में तत्काल अपनी नीति घोषित कर देना सम्भव नहीं है। किन्तु इस दिशा में भी हमने तुरन्त एक निर्णय कर लिया है। वित्तीय परामर्शदाता और मुख्य लेखा पदाधिकारी के पद अलग कर दिये गये हैं। एक सिफारिश यह थी कि हीराकुड परियोजना के लिये एक सर्वकालीन मुख्य इंजीनियर नियुक्त करना चाहिए। यह निर्णय हो चुका है कि इस आधार पर व्यवस्था की जाये। कुछ कठिनाइयों के कारण अब तक ऐसा नहीं किया जा सका था।

समिति ने जिस बारीकी से काम किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। इसने अपनी रिपोर्ट में हर एक गलती या अनियमितता का उल्लेख किया है और इससे हमें बहुत सहायता होगी। जहां भी किसी का कुछ दोष नज़र आया है, उस पर बिना संकोच आरोप लगाया है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं हर एक निर्णय से सहमत हूं मन्त्रालय को अभी रिपोर्ट का अध्ययन करने का पर्याप्त समय नहीं मिला। अतः वह अपनी राय नहीं दे सका। किन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को जिस ने इन परियोजनाओं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, क्षमा नहीं किया जायेगा। यही परियोजनायें तो पंचवर्षीय योजना की जान हैं और इनकी सफलता पर ही हमारी खाद्य की कमी की समस्या का हल और देश की आर्थिक प्रगति निर्भर है। सदन को यह बतलाना मेरा कर्तव्य है कि कुछ गलतियां और अनिय-

मितताएं अवश्य हुई हैं और मुझे उन पर बहुत खेद है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि कई करोड़ रुपये व्यर्थ नष्ट किये जा रहे हैं और अधिकतर पदाधिकारी खराब और अक्षम्य हैं और इन परियोजनाओं से किसी लाभ की आशा नहीं है। मुझे कहना पड़ेगा कि उन्होंने स्थिति का जो चित्र खींचा है वह अतिशयोक्तिपूर्ण है।

**श्री सारंगधर दास :** मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि कोई प्रगति नहीं हुई है। यदि माननीय मंत्री इसका खंडन कर सकते हैं तो मेरी बात गलत होगी किन्तु मैंने पदाधिकारियों पर आघात नहीं किया। यह मेरा काम नहीं है।

**श्री नन्दा :** मैं यह कह रहा था कि एक दम सभी बातों की निन्दा नहीं की जानी चाहिये। कुछ अनियमितताएं तो हुई हैं। अब हमें देखना यह है कि इन अनियमिताओं का व्यय पर और परियोजना की लागत पर कितना प्रभाव पड़ता है। मैं ने यह बात जानने की कोशिश की है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि हम सहायक बांधों को लें तो हमें मालूम पड़ेगा कि इन सब अनियमितताओं म केवल कुछ लाख रुपये सन्निहित हैं। हीराकुड बांध पर हम लगभग २५ करोड़ रुपये तो व्यय कर चुके हैं। यह तो ठीक ह कि हम भविष्य में इस का ख्याल रखें और अपन इस अनुभव से और अधिक हानि न होने दें क्योंकि अभी तो अकेले हीराकुड पर ही कितने करोड़ रुपयों की राशि और व्यय की जानी है। यद्यपि मैं यह नहीं चाहता कि एक पाई का भी नुकसान हो, फिर भी जो कुछ नुकसान हुआ ह वह कुल लागत की तुलना में नगण्य है। अतएव हमें यह नहीं कहना चाहिये कि जो काम हो रहा है उस में बहुत अधिक नुकसान हुआ है।

यह कहा गया कि जो पदाधिकारी नियुक्त किये गये वे ठीक नहीं थे और उन्होंने दुर्व्यवहार किया। परन्तु मैं पूछता हूं कि ऐसे कितने मामले हुए हैं? हमारे बहुत से अधिकारी इधर उधर लगे हुए हैं; उन में से चार-पांच के सम्बन्ध में ऐसी बातें पता लगीं। इन में से दो तो गृह मंत्रालय की सिपारिश से रखे गये विस्थापित व्यक्ति थे। जब प्रशासन को यह पता लगा कि वे ठीक तरह से नहीं चल रहे हैं तो तुरन्त ही उनके मामले गृह मंत्रालय को निर्दिष्ट किये गये और उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया। शेष व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। एक को तो न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया और अन्य के सम्बन्ध में पुलिस-जांच चालू है। एक मुख्य इंजीनियर का मामला था। उस ने मंत्रालय के अनुदेशों पर अमल नहीं किया था। उस मुख्य इंजीनियर को उस स्थान से हटा दिया गया।

हीराकुड में काफ़ी दिन रहने तथा वहां के काम का सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद मैं अब यह कह सकता हूं कि यह परियोजना तथा अन्य परियोजनाएं बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं। इनकी प्रगति सन्तोषजनक है। इस देश की जनता के उद्धार में इन परियोजनाओं का भी अच्छा हाथ होगा। इन परियोजनाओं का बराबर निरीक्षण तथा जांच होती रही है। यह तो ठीक है कि वहां होने वाली छोटी से छोटी चीज़ का सार्वजनिक महत्व होता है, परन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि एक से आरोप बार-बार न दुहराये जायें।

मेरे मित्र श्री सारंगधर दास ने कहा कि गत वर्ष मैं ने सदन में कोई ऐसी बात कही थी जिसे अब लोक लेखा समिति ठीक नहीं समझती। परन्तु म यह नहीं मानता। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। स्लीपरों

[श्री नन्दा]

के विषय में मैं ने क्या कहा था ? मैं ने यही तो कहा था कि उन की बहुत ज़रूरत है । स्लीपरों के प्रश्न के सम्बन्ध में आज मैंने सदन-पटल पर एक विस्तारपूर्ण विवरण रख दिया है । यदि इस विषय में कोई अनियमितता हुई होगी तो हम अवश्य ही कार्यवाही करेंगे । हम ने यह मामला पंजाब सरकार के पदाधिकारियों के पास भेज दिया है ताकि वे इस की और जांच करें ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए ]

सच तो यह है कि विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ भी की जा चुकी है । सम्बन्धित आदमी की सेवा समाप्त कर दी गई है और यदि उस के विरुद्ध किसी और चीज़ का पता लगा तो हम आगे कार्यवाही करेंगे ।

दूसरी बात बैलों के विषय में थी । मैं ने उस समय जो बात कही थी उसका अभिलेख इस समय मेरे सामने मौजूद है । यह आरोप लगाया गया था कि परियोजना के ही खर्चे में कुछ भैंसें भी मंगवा ली गई हैं ताकि इंजीनियरों को दूध मिल सके । तो मैं ने इस सम्बन्ध में यह कहा था कि सरकारी कागज़ों से ऐसी कोई बात पता नहीं लगती कि किन्हीं भैंसों की कीमत परियोजना के हिसाब में से चुकाई गई हो । मैं ने यह नहीं कहा था कि कोई अनियमितताएं ही नहीं हुई हैं ।

मुझे अधिक चिन्ता तो भविष्य की है । सदस्यों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे सब चीज़ों की आलोचना करें चाहे वे चीज़ें कितनी पुरानी क्यों न हो गई हों । सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वह इन बातों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करे । परन्तु दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हम कोई ऐसा कदम न उठायें जो हमारे पदाधिकारियों को--उदाहरण के लिये उन बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में लगे हुए इन्जीनियरों को--हतोत्साहित करे ।

इस सिलसिले में मैं एक बात और बतला दूं । मैं समझता हूं माननीय सदस्य यह जानते हैं कि अधिकांश अनियमितताएं अप्रैल मई १९५१ के पहले की हैं । उस के बाद ऐसी कोई बात जानकारी में नहीं आई है । मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय मैं नहीं था इसलिये मैं उनका उत्तरदायी नहीं हूं । मेरे ऊपर उनका उत्तरदायित्व है--उन अनियमितताओं का पता लगाने का और उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का । हमें अब यह देखना है कि इस कालावधि में हम ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की या नहीं । इसका उत्तर बहुत सन्तोषजनक है । उचित कार्यवाही की गई है । यह कार्यवाही मैं ने ही शुरू नहीं की बल्कि मेरे कार्यभार संभालने के पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी थी । मैं ने उसे जारी रखा । जो जो कार्यवाही की गई यदि मैं उन्हें यहां विस्तार से बतलाऊं तब तो बहुत समय लगेगा । संक्षेप में, कई समितियां स्थापित की गईं, जांच करने तथा रिपोर्ट देने के लिये विशेष पदाधिकारी नियुक्त किये गये और ऐसे ही अन्य सुधार किये गये । हीराकुड में सामान सम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्त सन्तोषजनक हो गई है । हां, अभी लेखे ठीक दशा में नहीं हैं; हमें उन पर ध्यान देना है ।

कर्मचारियों आदि के प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में हमें जो कठिनाइयां हुई हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि हम ने शायद आवश्यकता से अधिक काम हाथ में ले लिया है । हमने एक दम इतनी सारी परियोजनाएं प्रारम्भ तो कर दीं परन्तु धन तथा कर्मचारियों आदि की

उपलब्धता पर विचार नहीं किया । उस समय तो यह सोचा गया कि बाद में सब ठीक हो जायेगा । कौन कह सकता है कि याद हम कुछ वर्ष और रुकते और इन परियोजनाओं को कुछ दिन और प्रारम्भ न करते तो अधिक अच्छा होता । स्वभावतः शुरू में समन्वय का अभाव था । परन्तु बाद में धीरे धीरे स्थिति सुधरती ही गई और इस समय मैं कह सकता हूं कि हालत सन्तोषजनक है । अब भी सुधार की बहुत गुंजाइश है और दिन प्रति दिन हम सुधार करने की ही चेष्टा कर रहे हैं ।

हम अब यह कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों का एक 'पूल' बना दिया जाये ताकि कई परियोजनाओं का काम एक साथ चलाया जा सके । भाकरा-नंगल परियोजना में ही हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इंजीनियर प्राप्त करने के लिये हमें सारे देश में हाथ फैलाने पड़ते हैं । पदाधिकारियों को इतने उत्तरदायित्व का काम मिल गया है जो अभी उन्हें वर्षों तक नहीं मिलता । इस कारण भी हमें नुकसान उठाना पड़ा ।

हमारे सामने सामान प्राप्त करने की भी समस्या है । यदि भाकरा-नंगल परियोजना के लिये पर्याप्त मात्रा में सीमेंट नहीं मिलेगी तो कार्यक्रम के अनुसार आगामी वर्ष नहर चलाना सम्भव नहीं हो सकेगा । इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, स्थिति म शनैः शनैः सुधार हुआ है । एक बात का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं जिस से मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है । यह एक सुविदित तथ्य है कि इंजीनियरों और वित्त विभाग वालों के बीच--जैसा कि लोक लेखा समिति ने कहा--एक प्रकार का "स्थायी विवाद" चल रहा है । इस से सारी हीराकुड परियोजना का वातावरण गन्दा हो रहा था परन्तु सौभाग्य से हम इस समस्या को सुलझाने में सफल हो गये हैं । इसका श्रेय मैं लोक लेखा समिति को ही दूंगा क्योंकि समझौता उसी की सिपारिशों के कारण जल्दी हुआ है । हम एक ऐसे समझौते पर पहुंच गये हैं जिसका इन परियोजनाओं की आर्थिक क्रियान्विति और क्षिप्र प्रगति पर बहुत प्रभाव पड़ेगा । कुछ मतभेद तो हम ने दूर कर लिये हैं और कुछ अन्य को निपटाने के लिये तरीका निकाल लिया है । इस मामले में सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को नियंत्रक तथा महालेखापाल का परामर्श स्वीकार्य होगा । मुझे यकीन है कि वह इंजीनियरों की कठिनाइयों का पूरा ख्याल रखेंगे । इंजीनियरों का उद्देश्य यह है कि वे काम को तेज़ी से करना चाहते हैं, परन्तु वित्त विभाग इस बात का सुनिश्चयन कर लेना चाहता है कि धन व्यर्थ नहीं जायेगा । दोनों ही उद्देश्य ठीक हैं । मुझे विश्वास है कि नियंत्रक तथा महालेखापाल इन दोनों में समझौता कराने और इंजीनियरों की कठिनाइयां दूर करने में सफल होंगे ।

एक और चीज़ जो माननीय सदस्यों को यहां और बाहर परेशान कर रही है, यह है कि हमारे प्राक्कलन बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं । शायद उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो यह वृद्धि कुप्रशासन या भ्रष्टाचार के कारण है । शायद वे यह समझते हैं कि यदि किसी मद पर अनुमानित व्यय बढ़ कर दुगुना हो जाता है, तो वह कुप्रबन्ध के कारण है । जब प्राक्कलन बढ़ते हैं तो दो चीज़ें होती हैं । या तो आय कम हो जाती है या लोगों को पानी या बिजली अधिक दामों पर मिलती है । यदि हम किन्हीं कारणों से पूरे दाम न वसूल कर सकें, तो फिर आय कम हो जाती है । हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिये । जब

[श्री नन्दा]

प्रश्न यह है कि प्राक्कलनों में यह वृद्धि किस कारण है। यदि कुछ वर्षों में, अवमूल्यन होने के कारण, सामान की कीमत बढ़ जाने के कारण या, मशीनों का मूल्य बढ़ जाने के कारण, प्राक्कलन बढ़ जाते हैं, तो इसका दोषी कौन है ? एक तो हम पहले से इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कीमतें बढ़ेंगी और यदि हमें यह पता चल भी जाता कि कीमतें बढ़ रही हैं तो भी हम इन परियोजनाओं का काम बन्द तो कर नहीं देते । अतएव जहां तक प्राक्कलनों में वृद्धि मूल्यों के बढ़ जाने के कारण हुई है, इसका उचित जवाब मौजूद है ।

प्राक्कलनों में वृद्धि होने के अन्य कारण क्या हैं ? एक कारण यह हो सकता है कि पानी या बिजली के रूप में दी जाने वाली सुविधाओं का क्षेत्र बढ़ गया हो। जब पानी या बिजली का मूल्य बढ़ाया जाता है तो इसके बदले में उन्हें अधिक सुविधाओं के रूप में कुछ दिया जाता है । अतएव प्राक्कलनों में वृद्धि होने पर इस प्रकार शंका करने के कोई कारण नज़र नहीं आते ।

इस के अतिरिक्त और बातें भी हो सकती हैं। कई बार अप्रत्याशित बातें उपस्थित हो जाती हैं और उन के लिये भी व्यवस्था करनी पड़ती है । उदाहरणार्थ, जब हम बांध बनाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमें उसके डिज़ाइन में परिवर्तन करना पड़े । इन बातों के अतिरिक्त यदि इंजीनियरों ने जांच पड़ताल ठीक नहीं की तो इस में उन का दोष है । तो इन बातों से व्यय संबंधी आंकड़े बढ़ जाते हैं। ऐसा हमारे ही देश में हो नहीं अपितु अन्य देशों में बांध बनाने के मामले में बाद में और अधिक व्यय करना पड़ जाता है । हमारा देश निर्धन है और इस के सीमित संसाधन हैं । अतः परियोजनाओं को चुनने में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिये । यदि कोई जांच पड़ताल पूरी तरह से न की गई हो और इस कारण हम एक ऐसी परियोजना को अपने हाथ में ले लें जिस की अपेक्षा दूसरी परियोजना अधिक लाभप्रद हो और यदि इसे छोड़ दिया जाय तो यह समझा जायगा कि देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया गया है ।

अब मैं प्रगति के प्रश्न को लेता हूं । बार बार यह कहा गया है कि इन परियोजना कार्यों में प्रगति नहीं हो रही है । मैं ने इस प्रश्न की जांच की । यद्यपि इन के प्रारम्भिक कार्य ठीक प्रकार से नहीं किये जा सके किन्तु बाद में सब कार्य समुचित रूप से किये गये और जो बातें निर्धारित की जा रही हैं उन का पालन किया जायगा । गत काल में इन परियोजनाओं के लिये जितना धन नियत किया गया था वह सब खर्च कर दिया गया ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ये मांगें सात बजे तक समाप्त हो जानी चाहियें । उस समय मैं कटौती प्रस्ताव रखूंगा, और फिर आध घंटे तक वाद विवाद होगा । आप दस मिनिट तक और बोल सकते हैं ।

**श्री नन्दा** : मैं समझता हूं कि मैं इन मामलों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर नहीं बोल सकूंगा । मैं किसी अन्य मौके पर इन बातों पर, जहां तक इन का सम्बन्ध मेरे मंत्रालय से है, अपने विचार प्रकट करूंगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में प्रथा यह है कि यदि माननीय मंत्री अपने उत्तर में कुछ बातें न कह पायें तो उन्हें ज्ञापन के रूप में रख कर सदस्यों को परिचालित कर दिया जाय ।

**श्री टी० एन० सिंह** : क्या माननीय मंत्री लोक लेखा समिति रिपोर्ट में जो

कुछ कहा गया है उस की कुछ बातों का वह खण्डन करना या उन में संशोधन करना चाहते हैं ?

**श्री नन्दा** : उस में कुछ तथ्य सम्बन्धी मामले हैं ।

**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व) : अब हम योजना सम्बन्धी बातों को लें ।

**श्री नन्दा** : यह विषय सदन में कई बार आ चुका है । योजना को क्रियान्वित करने में जो प्रगति हुई है उस की रिपोर्ट जब हम सदन में प्रस्तुत करेंगे तो योजना सम्बन्धी बातों पर चर्चा की जायगी ।

**श्री ए० पी० सिन्हा** (मुजफ्फरपुर पूर्व): पिछले आयव्ययक की चर्चा में माननीय मंत्री हीराकुड पर बहुत देर तक बोले थे और इस बार भी काफी देर तक इसी पर बोले । हीराकुड के अतिरिक्त अन्य परियोजनाएं भी हैं ।

**श्री नन्दा** : मैं ने हीराकुड के मामले को बहुत अधिक समय नहीं दिया है । मैं ने तो कुछ सामान्य बातें कहीं जो कि हीराकुड पर ही नहीं अपितु उन सभी परियोजनाओं पर लागू होती हैं जो कि सिंचाई तथा विद्युत संबंधित मामलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ।

**श्री ए० पी० सिन्हा** : यह सुनते सुनते हमारी धैर्य शक्ति समाप्त हो चुकी है ।

**श्री नन्दा** : मैं समझता हूं कि इन माननीय सदस्यों के दिमाग़ में कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिन के बारे में वे यह चाहते हैं कि उनमें प्रगति की जाय । वे समझते हैं कि उन के क्षेत्रों में किसी प्रकार की कमी है और वे मुझ से यह जानना चाहते हैं कि वहां इन के बारे में क्या किया जायगा । इसका उत्तर मैं पांच मिनिट में दे सकता हूं । इसका उत्तर यह है कि सिंचाई तथा विद्युत योजना पूरे देश की पंचवर्षीय योजना का भाग है । यह महत्वपूर्ण योजना है किन्तु इस के लिये उपलब्ध संसाधन सीमित हैं । डा० साहा ने शिकायत की कि इस्पात, औद्योगीकरण, आदि के लिये हम ने काफ़ी धन नियत नहीं किया है । इसके उत्तर में मैं यह कह सकता हूं कि हम इस विषय में क्या करें ? लोग हम से बहुत सी चीज़ें करने के लिये कहते हैं । किन्तु इस योजना के लिये हमें जितने संसाधनों की आवश्यकता है उतने हमारे पास नहीं हैं । क्या वह यह चाहते हैं कि हम सिंचाई योजना में कुछ कमी कर दें ? निस्सन्देह वह ऐसा नहीं चाहते । फिर हम किस में कमी करें ? बहुत सी परियोजनाएं तो पहिले से ही थीं और जो शेष इस में सम्मिलित की गई हैं वे प्राथमिकता के आधार पर रखी गई हैं । बहुत सी परियोजनायें तो पंचवर्षीय योजना की अवधि की समाप्ति के समय आरम्भ की जायेंगी अथवा अगली पंचवर्षीय योजना में चालू रहेंगी । इन मांगों के सम्बन्ध में मैं यह नहीं कह सकता कि वे इस योजना में सम्मिलित कर ली जायेंगी । ऐसा तभी हो सकता है जबकि माननीय सदस्य हमें जनता से अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त करने में सहायता दें और जनता से यह कहें कि वह चौगुनी और पंचगुनी बचत करे । तभी नई परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं । कटौती प्रस्ताव में योजना के बारे में जो बातें उठाई गई थीं उन पर मैं कुछ कहना चाहता हूं । यह कहा गया था कि छोटी सिंचाई के लिये बहुत कम काम किया जा रहा है । किन्तु बात ऐसी नहीं । आरम्भ में हम ने उसके लिये ७७ करोड़ रुपये नियत किये थे और बाद में हम ने इस के लिये १५ करोड़ रुपये और रखे । छोटी सिंचाई तथा बड़ी सिंचाई दोनों से ही देश को लाभ होगा । अखिल भारतीय विद्युत जनन केन्द्र (ग्रिड) बनाने का प्रश्न भी उठाया गया था । यह उत्तम विचार है । योजना आयोग ने देश के विद्युत

[श्री नन्दा]

केन्द्रों को सम्बन्धित करने की बात को मान लिया है । विभिन्न प्रदेशों में उत्पादित विद्युत शक्ति को सम्बद्ध करने का हमें प्रयत्न करना चाहिये । और कुछ समय में देश भर में हम इन विद्युत केन्द्रों को एक दूसरे से सम्बद्ध कर देंगे ।

औद्योगीकरण के सम्बन्ध में डा० साहा ने कहा कि इस्पात और कच्चे लोहे पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है । जो कुछ वह कहते हैं वह ठीक है । हां इस्पात और कच्चे लोहे की आवश्यकता है । किन्तु यह बात ठीक नहीं है कि हम इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दे रहे । इस प्रकार की परियोजना के लिये हमें बहुत अधिक विनियोजन की आवश्यकता है ।

**श्री नटेशन** : मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह पेरियार परियोजना के विषय में कुछ कहें । मैं इस पर एक निश्चित प्रश्न पूछूंगा कि योजना आयोग ने इस परियोजना पर विचार क्यों नहीं किया यद्यपि केन्द्रीय जल विद्युत आयोग ने इसे स्वीकार कर लिया था ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ऐसी बातें नहीं कह सकते । देश में ऐसी सैकड़ों योजनायें हैं ।

**श्री नटेशन** : यह परियोजना बहुत दिनों से है । जब उत्तर भारत में करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं तो क्या दक्षिण भारत पर दस करोड़ रुपये खर्च नहीं किये जा सकते ?

**श्री नन्दा** : जो कुछ मैं पहिले कह चुका हूं उस में यह बात आ गई है । इन नदी घाटी परियोजनाओं को मैं देश की दरिद्रता को दूर करने की इच्छा का प्रतीक समझता हूं । इन परियोजनाओं से दरिद्रता तथा आर्थिक अवनति दूर हो जायेगी । इस बात का पूरा प्रयत्न किया जायगा कि इन परियोजनाओं का, जिन पर इतना अधिक धन व्यय किया जा रहा है, काम ठीक प्रकार से और संगठित रूप से हो ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

> "३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में मांग संख्या ६१, ६२, ६३, ६४, १२९ तथा १३० के निमित्त जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये राष्ट्रपति को आदेश पत्र के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित राशियों तक की राशियां दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

मांग संख्या ६१--सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय--७,२८,००० रुपये ।

मांग संख्या ६२--सिंचाई (कर्मवाहक व्यय सहित), नौपरिवहन, बन्द तथा नाली सम्बन्धी कार्य (राजस्व से दिया जाने वाला) --१८,००० रुपये ।

मांग संख्या ६३--बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें--४१,७८,००० रुपये ।

मांग संख्या ६४--सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय --३७,१२,००० रुपये ।

मांग संख्या १२९--बहुमुखी नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय--३,४९,१९,००० रुपये ।

मांग संख्या १३०--सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय--४,७६,७४,००० रुपये ।

---

## खोपरा तथा नारियल के तेल का आयात

**श्री वी० पी० नायर** (चिरायिन्किल) : मैं इस विषय पर चर्चा कर के सदन का ध्यान देश के, विशेषत: त्रावणकोर-कोचीन तथा मलाबार के लाखों नारियल उगाने वालों

के प्रति सरकार के सौतेले तथा उपेक्षापूर्ण व्यवहार की ओर दिलाना चाहता हूं । गत मास माननीय मंत्री ने संसद् में बताया कि सरकार आयात शुल्क में काफ़ी कमी करने की नीति अपना रही है । उन्होंने जो सूचना दी उस से पता चलता है कि खोपरे पर आयात शुल्क की सामान्य तथा रियायती दरों में १९५१-५२ से क्रमशः ३६ प्रतिशत से २५ प्रतिशत तथा २४ प्रतिशत से १५ प्रतिशत (मूल्यानुसार) की कमी कर दी गई है । उक्त काल में नारियल के तेल पर भी आयातशुल्क की सामान्य तथा रियायती दरों में——क्रमशः ४० प्रतिशत से ३१·२५ प्रतिशत तथा ३० प्रतिशत से २१ प्रतिशत (मूल्यानुसार) की कमी कर दी गई है । इस कमी के कारण कीमतें गिरती रही हैं । कभी कभी दाम बहुत गिर जाते हैं और कभी बढ़ जाते हैं । इस सब का नतीजा यह होता है कि नारियल उगाने वालों को हमेशा ख़तरा बना रहता है । यह समस्या त्रावणकोर-कोचीन तथा मलाबार के विषय में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है क्योंकि नारियल समिति की रिपोर्ट के अनुसार, ३२६ करोड़ नारियलों के कुल उत्पादन में से त्रावणकोर-कोचीन तथा मद्रास में २८६ करोड़ होते हैं । यानी ८५ प्रतिशत होते हैं । त्रावणकोर-कोचीन का लगभग हर एक घर नारियल उगाने के काम में लगा है और अधिकांश लोगों की जीविका इसी पर निर्भर रहती है । क़ीमतों में गड़बड़ होने से इन लोगों को बडा कष्ट उठाना पड़ता है ।

आज राज्य परिषद् में माननीय वाणिज्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया कि १९५० में साबुन का आयात २३,०१९ हंडरवेट था, १९५१ में ३९,५४७ हंडरवेट और १९५२ में ५४,८७८ हंडरवेट । १९५३ के बारे में उन्हें केवल एक महीने के आंकड़े ही पता हैं और सब से बड़ी बात यह है कि सरकारी आंकड़ों में निर्यात कर्ताओं और निर्माताओं के नाम नहीं दे रखे हैं । गत वर्ष माननीय मंत्री ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि सरकार का हर एक उद्योग पर——विदेशी और भारतीय दोनों पर पूरा नियंत्रण है । अब वह कहते हैं कि उन के पास आंकड़े नहीं हैं । मेरी समझ में नहीं आता है, कि यह दो चीज़ें किस प्रकार मेल खाती हैं । हां, एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि केराला सोप फ़ैक्टरी की, जिसकी मालिक मद्रास सरकार है और मैसूर सोप फ़ैक्टरी की, जिस की मालिक भी एक दूसरी राज्य सरकार है, अलग अलग अधिष्ठापित क्षमता ७५० टन है जब कि भारत में लीवर ब्रादर्स की क्षमता ४९,१३० टन है । वही वाणिज्य मंत्री हैं जिन के पास अब पूरी सूचना भी नहीं है, हालां कि उनका दावा है कि हर उद्योग पर सरकार का नियंत्रण है । इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि नारियल उगाने वालों को कड़ी हानि उठानी पड़ती है और उन्हें यह पता नहीं रहता कि उन को क्या दाम मिलेंगे । मलाबार के समाचार पत्र 'मातृभूमि' के अनुसार वित्त मंत्री माननीय पानम्बली गोविन्द मेनन ने विधान सभा में यह कहा था कि त्रावणकोर-कोचीन के प्रार्थना करने के बावजूद भी, भारत सरकार ने दाम निश्चित करते समय त्रावणकोर-कोचीन सरकार से सलाह तक नहीं ली ।

नारियल के तेल या खोपरे के दाम घटने बढ़ने से उपभोक्ताओं को विशेष हानि या लाभ नहीं होता, क्योंकि किसी भी घर में इन वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है वह अधिक नहीं होता । परन्तु यदि आप नारियल के तेल या खोपरे के दाम में कमी करेंगे तो इस से निर्माताओं के लाभ में बड़ी वृद्धि हो जायेगी । मैं माननीय मंत्री से पूछूंगा कि लीवर ब्रदर्स, टाटा और गोदरेज वाले साबुन

[श्री वी० पी० नायर]

के उद्योग से कितना कमाते हैं। अगर वह यह सूचना दें तब आप को मालूम पड़ेगा कि ये लोग हमारे काश्तकारों से कितना पैसा खींचते हैं। खोपरे तथा नारियल के तेल के बाज़ार में बहुत अधिक अनिश्चितता रहती है जिस से काश्तकारों को कड़ा नुक़सान रहता है। उन के दाम उत्पादन पर निर्भर नहीं होते वरन् अन्य कारणों से निश्चित होते हैं। ये दूसरे देशों के उत्पादन पर आधारित होते हैं। इस उद्योग को चलाने का यह तरीक़ा नहीं है। सरकार ने इस विषय में उपेक्षापूर्वक कार्य किया है और उद्योग के प्रति उनका व्यवहार सौतेला रहा है। इस उद्योग की अव्यवस्था का उत्तरदायित्व सरकार पर ही है।

**श्री ए० एम० टामस** (ऐरणाकुलम्) : मैं एक बात पूछना चाहता हूं--त्रावणकोर-कोचीन की विधान सभा की कार्यवाही देखने से पता चलता है कि त्रावणकोर-कोचीन के वित्त मंत्री ने विधान सभा में कहा था कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अभ्यावेदन किया था कि आयात बन्द कर दिया जाये और कम से कम आयात शुल्क तो बढ़ा ही दिया जाये। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इन प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है।

**श्री एन० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन व मावेलिक्करा) : क्या मंत्री महोदय को पता है कि हाल ही में नारियल के दाम एकदम से बहुत गिर गये हैं क्योंकि व्यापारियों ने पहले से अनुमान लगा लिया था कि देश में इंडोनेशिया से बहुत सा नारियल, खोपरा और तेल आ जायेगा और इसलिये उन्होंने नारियल या खोपरा नहीं खरीदा जिस के कारण काश्तकारों के पास बड़ा स्टाक इकट्ठा हो गया है। क्या सरकार को यह भी पता है कि स्टेशनों में बिजली कम कर दी गई है जिस से खोपरों से तेल निकालने की सम्भाव्यता बिल्कुल समाप्त हो गई है ? इस वजह से भी काश्तकारों के पास माल इकट्ठा होता जा रहा है।

**श्री पुन्नूस** (आलप्पी) : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार जानती है कि हमारे यहां की यानी त्रावणकोर-कोचीन की अर्थ व्यवस्था मुख्यतः वाणिज्यिक फ़सलों पर जैसे नारियल की फ़सल है, निर्भर करती है; और इसलिये जब कभी दामों में अनिश्चितता होती है तो वहां के लोगों को कड़ा नुक़सान होता है। क्या सरकार का ध्यान त्रावणकोर-कोचीन के वित्त मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ? क्या सरकार आयात अप्रतिबन्धित रूप से होने देगी ?

**श्री अच्युतन** (क्रेंगान्नूर) : मैं जानना चाहता हूं कि जब दाम पहले से ही बहुत गिर रहे थे तो फिर आयात शुल्क में कमी करने के क्या कारण थे ? क्या सरकार ने पता किया है कि भारत में नारियल की उत्पादन लागत कितनी है और इंडोनेशिया तथा लंका में नारियल, खोपरा और तेल की उत्पादन लागत क्या है ? चंकि नारियल-उत्पादों के मूल्यों में मन्दी आ गई है, क्या सरकार इस बात के लिये क़दम उठायेगी कि नारियल के दाम बढ़ें जिस से कि यह छोटे उद्योग चलते रहें और बेकारी की समस्या भी कुछ हद तक हल हो सके ? आयात शुल्क में कमी करने से पहले क्या सरकार ने साबुन बनाने के लिये, घरेलू खपत के तथा अन्य कार्यों के लिये नारियल के तेल की ज़रूरत का अनुमान लगाया है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : मैं समझता हूं कि इस विषय पर इतना जो कहा गया है उसकी

कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कोई बात नहीं हुई है, न तो क़ीमतें गिरी हैं और न ही आयात शुल्क में वृद्धि की गई है। इसके विपरीत, क़ीमतें तो बढ़ी हैं। माननीय सदस्य ने जो व्याख्यात्मक टिप्पणी आप के पास भेजी है उस में छः बातें हैं और, मैं उन्हीं के बारे में कहूंगा। माननीय सदस्य की बात का आधार १७ फ़रवरी को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९६ का उत्तर मालूम होता है जिस में उन्होंने लंका से खोपरे और नारियल के तेल के आयात के बारे में पूछा था। यह सत्य है कि खोपरे और नारियल के तेल के आयात में सामान्यतः वृद्धि हुई है। १९५० में खोपरे का आयात १३,६०० टन था, १९५१ में ९,५५० टन और १९५२ में १८,३५० टन। इन वर्षों में नारियल के तेल का आयात क्रमशः २०,१४२ टन, २४,७५८ टन और २८,२८८ टन था। यह भी सत्य है कि टिप्पणी के पैरा दो व तीन में शुल्क की दरों में जिन परिवर्तनों की चर्चा है वह भी सही है। उस में कमी हुई है और मैं यहां यह भी बता दूं, जिसे माननीय सदस्य बताना भूल गये कि तटकर के सम्बन्ध में भी परिवर्तन हुआ है जो कमी की ओर ही रहा है। इस के बावजूद भी, आयात किया गया नारियल का तेल देश में उत्पादित तेल से महंगा है और आयात किये गये खोपरे से निकाला गया तेल आयात किये गये तेल से महंगा है——कलकत्ते में २०० रुपये प्रति टन अधिक और बम्बई में १०० रुपये प्रति टन अधिक।

यह सत्य नहीं है कि भारत में खोपरे के दाम इसलिये गिरे हैं क्योंकि आयात शुल्क में कमी हुई है और न यह सत्य है कि देश में नारियल उगाने वालों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। टिप्पणी के पैरा पांच में यह बात जो मान ली गई है कि भारतीय गजट अधिसूचना संख्या १३ (२८ फ़रवरी) से शुल्क हटा दिये गय हैं बिल्कुल गलत है। मैं सदन को बता चुका हूं कि इस अधिसूचना से खोपरे और नारियल के तेल पर वर्तमान शुल्क दर को केवल जारी रखा गया है और इस प्रकार वित्त विधेयक यानी १९५३ के विधेयक संख्या १४ के खंड ५ के उपखंड (घ) के उपबन्धों को यानी २५ प्रतिशत के अधिक-कर को हटा दिया गया है। हम अधिक-कर नहीं चाहते क्योंकि यह वर्तमान शुल्क के अतिरिक्त होगा और इसलिये अधिसूचना जारी की गई थी। यह मैं कुछ दिन हुए बता चुका था। न ही मैं टिप्पणी के पैरा ६ के आधार को मानता हूं कि इस सब का भारत के समस्त नारियल उगाने वालों पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

नारियल के तेल के उत्पादन का जहां तक सम्बन्ध है पिछले तीन वर्षों में औसत लगभग १,०७,००० टन रहा है। देश में नारियल के तेल की लगभग डेढ़ लाख टन सालाना की ज़रूरत होती है। इस में से लगभग ५५ से ६० प्रतिशत खाने के काम में लाया जाता है, १२ १/२ प्रतिशत साबुन उद्योग में और शेष श्रृंगार सामग्री, घरेलू तथा रोशनी के कामों में लाया जाता है। हां, ४०,००० टन की कमी अवश्य होती है जिसे बाहर से मंगाना पड़ता है। वरना क़ीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। एक टन खोपरे से ०.६ टन तेल निकाले जाने के आधार पर १९५२ में तेल का आयात २८,२८८ टन और खोपरे का आयात १८,३५० टन मानते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी कमी बस ठीक पूरी हो जाती है। यह कहना ग़लत होगा कि इस आयात से क़ीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके विपरीत भारत में खोपरे और नारियल के तेल की कीमतें बहुत अधिक बढ़ी हैं। युद्ध-पूर्व की क़ीमतों के मुकाबिले में, क़ीमतें, जब कोरिया-युद्ध के समय वे अधिकतम थीं, आठ गुनी बढ़ गई थीं।

१९५० के अन्त में खोपरे के दाम १६४४ रुपये प्रति टन थे और तेल के २४६४ रुपये प्रति टन । कोलम्बो, सिंगापुर तथा जकार्टा के बाज़ारों के मुक़ाबिले में यह दाम बहुत ऊंचे थे । नारियल उद्योग को सुरक्षण कुछ तो खोपरे और नारियल के तेल पर आयात कर लगा कर (जो समय समय पर बदला जाता रहा है) और कुछ लंका ने इन पर निर्यात शुल्क लगा कर दिया गया है । मार्च १९५२ में भारत में इन के दाम गिरे । खोपरे के दाम १६४४ रुपये से ८७१ रुपये हो गये और नारियल के तेल के २४६४ रुपये से १३०० रुपये । उस के बाद से दाम फिर से बढ़ते रहे हैं । अक्टूबर १९५२ में एक दम से दाम बढ़ने लगे परन्तु अगले महीन कुछ स्थिरता आई । उसके बाद से दाम बढ़ रहे हैं । नवम्बर १९५२ में खोपरे के दाम ११३२ रुपये थे और मार्च १९५३ में १२५३ रुपये । इसी प्रकार नवम्बर १९५२ में नारियल के तेल के दाम १६४८ रुपये थे और मार्च १९५३ में १८८७ रुपये । नारियल के दाम भी ६०, ६५ रुपये से ७० रुपये तक कहे जा रहे हैं ।

गत मई से साधारण जनता द्वारा काम में लाई जाने वाली औद्योगिक वस्तुओं के दाम, जैसे कपड़े के दाम धीरे धीरे गिर रहे हैं । अतः हम यह नहीं होने देंगे कि कुछ वस्तुओं के दाम कम होने से निर्वाह-व्यय में जो कुछ कमी हुई है वह कृषि-उत्पादों के दामों में वृद्धि हो जाने से बराबर हो जाये ।

मेरी राय में माननीय सदस्य को और अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आंकड़े स्वयं स्थिति बतला रहे हैं । मैं फिर से यह कहना चाहूंगा कि २८ फ़रवरी की अधिसूचना संख्या १३ से, वास्तव में, शुल्क म कमी नहीं हुई । २८ फ़रवरी के बाद शुल्क वही रहे जो थे ।

नवम्बर १९५२ तथा मार्च १९५३ के बीच खोपरे और नारियल के तेल के दाम क्रमशः ११३२ रुपये से १२५३ रुपये और १६४८ रुपये से १८८७ रुपये हो गये हैं ।

एक बात और है । इस वर्ष मूंगफली की फ़सल बहुत खराब हुई है जिस के कारण तेल का बाज़ार बहुत ऊंचा जा रहा है । वास्तव में यदि मूंगफली के तेल के साथ नारियल के तेल के दाम ऊंचे जाने लगें तो कोई आश्चर्य नहीं । साधारण जनता की आर्थिक स्थिति में रुचि रखने वाले माननीय सदस्यों को भी इस बात से अवश्य चिन्ता होगी जब मैं यह कहूंगा कि निर्वाह-व्यय देशनांक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है । भविष्य की हमारी सारी योजना मूल्य-स्तर स्थिर रखने पर निर्भर है परन्तु इन बातों से सरकार को कड़ी चिन्ता हो गई है । मूल्यों को न बढ़ने देने के लिये सरकार को सब तरह के उपाय करने हैं ।

एक बात यह पूछी गई कि क्या भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति से सलाह ली गई थी । हमारे यहां कई समितियां हैं । मैं समझता हूं कि कृषि विभाग की ही २० समितियां हैं । मेरे मंत्रालय की भी अनेक समितियां हैं । यदि हम हरेक समिति की राय सुनने लगें तो फिर आगे बढ़ना कड़ा कठिन हो जायेगा ।

**श्री पुन्नूस :** तो उन्हें खत्म कीजिये ।

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** हमें उन की राय वस्तु विशेष के विकास के सम्बन्ध में लेनी होती है, सरकार की नीति के सम्बन्ध में नहीं । परन्तु मैं एक बात बताना चाहता हूं । नारियल समिति की पत्रिका के अप्रैल-जून १९५२ के अंक में पृष्ठ १३६ पर यह कहा गया है कि यदि नारियल के तेल के दाम १६२० रुपये प्रति टन के आस-पास

हों तो काश्तकार को सन्तुष्ट होना चाहिये । वास्तव में दाम १८८७ रुपये प्रति टन है । यह दाम कुछ समय पहले के हैं अब यह बढ़ गये हैं । समिति के अनुसार १६४८ रुपये प्रति टन ही काफ़ी हैं परन्तु आज कल तो दाम १८८७ रुपये प्रति टन हैं । अतः मैं फिर से कहने के लिये विवश हूं कि माननीय सदस्यों ने जो जो बातें यहां उठाई हैं उन की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

जसा मैं ने कहा शुल्क में कमी करने का प्रश्न कई वर्षों से चल रहा है । हो सकता है कि हम आगे चल कर शुल्क और कम कर दें । मैं समझता हूं इस में किसी अभ्यावेदन की आवश्यकता नहीं क्योंकि दाम तो बढ़ रहे हैं । हमारे आयात करने से स्थानीय क़ीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है ।

माननीय सदस्य श्री एन० श्रीकान्तन नायर ने बिजली में कमी कर दिये जाने की ओर ध्यान दिलाया । इस से न केवल तेल निकालने के उद्योग को ही हानि हो रही है बल्कि अन्य बहुत से उद्योग भी नुकसान उठा रहे हैं । मैं स्वयं इस मामले में दिलचस्पी ले रहा हूं । त्रावणकोर-कोचीन की कठिनाइयों का सरकार को बराबर ध्यान ह । बिजली की कमी से तेल निकालने के काम में बाधा पड़ रही है और तेल मिलें, जो बिजली से चलती ह, खोपरा नहीं खरीद रहीं । यह सब संभव है परन्तु इस से तो तेल के दाम नीचे जाने की बजाय ऊंचे जाने चाहियें । यदि तेल कम निकाला जायेगा तो तेल के दाम बढ़ने चाहियें, घटने नहीं । यह एक एसा मामला है जिस में न तो हम ही कुछ कर सकते हैं और न ही त्रावणकोर-कोचीन सरकार कुछ कर सकती है क्योंकि यह तो एक दैविक चीज़ ह जिस पर मनुष्य का कोई वश नहीं । मुझे इतना ही कहना है । जो शिकायतें आज की गई हैं वे सत्य पर आधारित नहीं हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सदन की बैठक कल दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

**इस के पश्चात् सदन की बैठक शनिवार, २८ मार्च १९५३ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।**

GIPD—HS—251 PSD—4-1-54—285